



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 40
12 कार्तिक 1943 (श०)
पटना, बुधवार, —————
3 नवम्बर 2021 (ई०)

विषय-सूची

विषय-सूची	पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-20	
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	21-21	
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-9-विज्ञापन	---	
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	22-44	
पुरक	---	
पुरक-क	45-55	

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचनाएं

25 अक्तूबर 2021

सं० जी/म०प्रति०-03-03/2021-8080/गृ०वि०—बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 3, 2021) दिनांक 24.03.2021 से राज्य में प्रभावी है। बिहार के राज्यपाल द्वारा इस अधिनियम की धारा-2(XI) एवं 3(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गया जिला स्थित वैश्विक धरोहर “महाबोधि मंदिर, बोधगया” की सुरक्षा एवं संरक्षा की जवाबदेही बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को सौंपते हुए इसे तुरंत के प्रभाव से विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

2. इस प्रतिष्ठान की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के हवलदार पद से अन्यून तैनात अधिकारी को कर्तव्य के दौरान बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम, 2021 की धारा-7, धारा-8 एवं धारा-9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विकास वैभव, विशेष सचिव।

25 अक्तूबर 2021

सं० जी/म०प्रति०-03-03/2021-8081/गृ०वि०—बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 3, 2021) दिनांक 24.03.2021 से राज्य में प्रभावी है। बिहार के राज्यपाल द्वारा इस अधिनियम की धारा-2(XI) एवं 3(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना उड़ान के अंतर्गत संचालित दरभंगा जिला स्थित दरभंगा हवाई अड्डा की सुरक्षा की जवाबदेही बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को सौंपते हुए इसे तुरंत के प्रभाव से विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

2. इस प्रतिष्ठान की सुरक्षा हेतु बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के हवलदार पद से अन्यून तैनात अधिकारी को कर्तव्य के दौरान बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम, 2021 की धारा-7, धारा-8 एवं धारा-9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विकास वैभव, विशेष सचिव।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं

20 सितम्बर 2021

सं० 1/एल1-10-08/2019-गृ०आ०-7270—श्री आमीर जावेद, भा०पु०से० (2012), रेल पुलिस अधीक्षक, जमालपुर को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11, 20 के अन्तर्गत दिनांक 20.09.2021 से 04.10.2021 तक कुल 15 (पंद्रह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री आमीर जावेद के अवकाश अवधि में श्री सत्यवीर सिंह, भा०पु०से० (2008), समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-09, जमालपुर, श्री जावेद के दैनिक कार्यों के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

15 सितम्बर 2021

सं० 1/एल०1-10-02/2007-गृ०आ०-7122—श्रीमती के० सुहिता अनुपम, भा०पु०से० (1998), पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 20.04.2021 से दिनांक 08.06.2021 तक कुल 50 (पचास) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

7 अक्टूबर 2021

सं० 1/एल०1-10-04/2012-गृ०आ०-7947—श्रीमती शोभा ओहटकर, भा०पु०से० (1990), महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 25.09.2021 से 03.10.2021 तक कुल 9 (नौ) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती ओहटकर के उक्त अवकाश अवधि में श्री जितेन्द्र मिश्रा, भा०पु०से० (2004) पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-उप-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना को उनके दैनिक कार्यों के प्रभार में रखने की घटनोत्तर अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

7 अक्टूबर 2021

सं० 1/एल०1-10-04/2012-गृ०आ०-7948—श्रीमती शोभा ओहटकर, भा०पु०से० (1990), महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-12, एवं 13 के अन्तर्गत दिनांक 17.04.2021 से 30.04.2021 तक कुल 14 (चौदह) दिनों का रूपान्तरित अवकाश (14 X 2 = 28 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य) एवं दिनांक-01/02.05.2021 (शनिवार/रविवार) को suffix सहित, की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती ओहटकर के उक्त अवकाश अवधि में श्री पंकज सिन्हा, भा०पु०से० (2004), तत्कालीन पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-उप-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना को उनके दैनिक कार्यों के प्रभार में रखने की घटनोत्तर अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

15 सितम्बर 2021

सं० 1/एल०1-10-05/2020-गृ०आ०-7123—श्री आर०एस० भट्टी, भा०पु०से० (1990), पुलिस महानिदेशक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, पटना (सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु विरमित) को अत्यावश्यक निजी कार्य हेतु अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-12(3) के अन्तर्गत दिनांक 06.09.2021 से दिनांक 07.09.2021 तक 02 (दो) दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश [दिनांक 04/05.09.2021 (शनिवार/रविवार) को Prefix सहित] की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री भट्टी के उक्त अवकाश अवधि में श्री एम० आर० नायक, भा०पु०से० (1998), पुलिस महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, पटना को उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में रखने की अनुमति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

26 अक्टूबर 2021

सं० 1/एल०1-10-06/2021-गृ०आ०-8446—श्री राजीव रंजन नं०-2, भा०पु०से० (2012), पुलिस अधीक्षक (अभियान), विशेष कार्य बल, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 08.09.2021 से 06.11.2021 तक कुल 60 (साठ) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

7 अक्टूबर 2021

सं० 1/एल1-10-08/2015-गृ०आ०-7949—श्री अमरकेश डी०, भा०पु०से० (2013), पुलिस अधीक्षक यातायात, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 03.12.2021 से 01.01.2022 तक कुल 30 (तीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री अमरकेश डी०, भा०पु०से० (2013) के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना के अतिरिक्त प्रभार में श्री अम्बरीष राहुल, भा०पु०से० (2017) नगर पुलिस अधीक्षक (मध्य), पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

7 अक्टूबर 2021

सं० 1/एल1-10-13/2013-गृ०आ०-7950—श्री एम० आर० नायक, भा०पु०से० (1998), पुलिस महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 22.09.2021 से 01.10.2021 तक 10 (दस) दिनों के उपार्जित अवकाश एवं दिनांक 02/03.10.2021 को 02 (दो) दिनों का अनुमति अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री नायक के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, पटना के अतिरिक्त प्रभार में श्री विजय कुमार वर्मा, भा०पु०से० (2003) पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना को रखने की घटनोत्तर अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

15 सितम्बर 2021

सं० 1/एल1-10-23/2015-गृ०आ०-7089—श्रीमती मीनू कुमारी, भा०पु०से० (2010), पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11, 20 के अन्तर्गत दिनांक 26.04.2021 से 13.06.2021 तक कुल 49 (उनचास) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

11 अक्टूबर 2021

सं० 01/स्था०-राज०-217/2021-1703—बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार ईख सेवा के लिए अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-9 (₹53,100-1,67,800) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान ईख पदाधिकारी के रूप में औपबन्धिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम-8 में अंकित जिला में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता	गृह जिला	जन्मतिथि	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	नव पदस्थापित कार्यालय का नाम	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	211233	श्री श्रीराम सिंह, पिता-श्री श्रीकांत सिंह, ग्राम-बलथर, पोस्ट-सोनो, जिला-जमुई, बिहार-811314	जमुई	16.02.1991	179	01	ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल बेतिया।	ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल बेतिया।

2	485818	श्री राहुल कुमार, पिता—श्री मनोहर चौधरी, पता—शिवराम चौधरी टोला, पोस्ट—कुतलूपुर, थाना—मुफसिल, मुंगेर, जिला—मुंगेर, बिहार, 811202	मुंगेर	31.12.1986	187	01	ईख पदाधिकारी, मोतिहारी।	—
---	--------	--	--------	------------	-----	----	-------------------------------	---

2. चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में उपर्युक्त सभी अभ्यर्थी की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त नहीं होने पर उनकी सेवा तत्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी। छः माह के अन्दर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस औपबंधिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा अगले छः माह के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर तबतक विस्तारित होता रहेगा, जबतक कि प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाय।

3. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी क्षेत्रीय प्रशिक्षण के दौरान दो सप्ताह का कोषागार प्रशिक्षण संबंधित कोषागार के अधीन प्राप्त करेंगे।

4. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी अपने पद पर पदस्थापित रहते हुए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

5. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी क्षेत्रीय/जिला स्तरीय प्रशिक्षण संबंधित जिला के अधीन प्राप्त करेंगे।

6. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी अपने पद पर पदस्थापित रहते हुए ही एस0आर0आई0, पूसा में छः माह का प्रशिक्षण और बिहार लोक प्रशासन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना में तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

7. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र एवं अन्य प्रमाण—पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इनकी सेवा तत्काल के प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

8. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी की परीक्ष्यमान अवधि 02 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

9. वित्त विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या—1964 दिनांक—21.08.2005 एवं पत्रांक—768 पे.को. दिनांक—03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा।

10. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग (पूर्व में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या—1919 दिनांक—18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

11. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान देने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने—जाने के लिए कोई भत्ता देय नहीं होगा।

12. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

13. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर नवनियुक्त ईख पदाधिकारी निश्चित रूप से योगदान देना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा यह समझा जायेगा कि योगदान करने के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी।

14. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अंतर्गत सेवारत है, योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी को अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15. प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
शाहिद परवेज, उप—सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

18 अक्टूबर 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) नालन्दा (लोक शि०-03/2021—599967—श्रीमती गीता, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एकंगरसराय, नालन्दा के विरुद्ध अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, के पत्रांक—102

दिनांक 22.12.2020 द्वारा आरोप प्राप्त है। आरोप में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर परिवाद की सुनवाईयों में अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित है।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पर श्रीमती गीता से स्पष्टीकरण प्राप्त है। जिसमें प्रतिवेदित है कि सरकारी कार्य/दायित्वों का निर्वहन की व्यवस्था के कारण उक्त तिथि को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, हिलसा के समक्ष जाँच प्रतिवेदन के साथ पक्ष रखने हेतु प्रभारी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, एकंगसराय को प्राधिकृत किया गया था। परन्तु उनका वाहन हिलसा जाने के क्रम में खराब हो जाने के कारण वह अनुमंडलीय शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके।

श्रीमती गीता के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग से प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा किया गया समीक्षोपरांत पाया गया कि श्रीमती गीता का स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः श्रीमती गीता, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एकंगसराय, नालन्दा के विरुद्ध कड़ी चेतावनी का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्रीमती गीता के चारित्रि में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरगन डी०, सचिव।

11 अक्तूबर 2021

सं० ग्रा०वि०-14(म०) और०-01/2020-598199—श्री लोक प्रकाश, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुटुम्बा, औरंगाबाद सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहिया, भोजपुर (आरा) के विरुद्ध प्रभारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, औरंगाबाद के पद पर रहते हुये मई, 2019 में बाल विकास परियोजना कार्यालय, कुटुम्बा, औरंगाबाद में टी०एच०आर०/एच०सी०एम० वितरण नहीं किये जाने में लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता बरतने संबंधित आरोप पत्र समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3306 दिनांक 13.08.2021 द्वारा प्राप्त है ।

समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री प्रकाश का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अप्रैल, 2019 में पूरक पोषाहार तथा टी०एच०आर० का वितरण ससमय किया गया । तकनीकी कारणवश आवंटन उपलब्ध नहीं रहने के कारण मात्र मई, 2019 में पूरक पोषाहार तथा टी०एच०आर० का वितरण नहीं किया जा सका ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री प्रकाश द्वारा आवंटन प्राप्त करने हेतु तत्परता नहीं बरतने जैसी मामूली भूल हुई है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री लोक प्रकाश, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुटुम्बा, औरंगाबाद द्वारा आवंटन प्राप्त करने हेतु तत्परता नहीं बरतने के लिए इन्हें सचेष्ट किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरगन डी०, सचिव।

11 अक्तूबर 2021

सं० ग्रा०वि०-14(भा०) भा०-03/2019-598203—श्री अरविन्द कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सन्हीला (अतिरिक्त प्रभार गोरडीह), भागलपुर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, अस्थावाँ (नालन्दा) के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-271 दिनांक 21.02.2019 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र में धारित आरोपों के आलोक में अधिसूचना संख्या-382647 दिनांक 09.02.2021 द्वारा असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने का दंड दिया गया । उक्त आदेश में प्रखंड गोरडीह, ग्राम पंचायत मोहनपुर, वार्ड-12 में फर्जी पंजी तैयार कर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सदस्य सचिव को हटाने हेतु ही लगातार तीन बैठक बुलाने जो मुख्यमंत्री नल-जल योजना से संबंधित संगत विभागीय मार्गदर्शिका का उल्लंघन है, का उल्लेख है ।

अधिरूपित दंड के विरुद्ध श्री कुमार के द्वारा दिनांक-01.03.2021 को पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। विभाग द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके विरुद्ध पारित लघु दंड की अधिसूचना में स्वच्छ भारत मिशन, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत प्रखंड को ओडीओएफ करने में लापरवाही बरतने का भी उल्लेख किया गया है, जबकि श्री कुमार के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा गठित आरोप पत्र में उक्त कथन कहीं भी अभिलिखित नहीं की गयी है। श्री कुमार के अभ्यावेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि वार्ड सचिव को वर्ष 2017 में हटाया गया है, जबकि ये अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रशिक्षण में जाने के कारण मई, 2018 से जुलाई 2018 के प्रथमाद्ध तक प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

श्री कुमार के अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि यद्यपि प्रपत्र 'क' में स्वच्छ भारत मिशन, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ओडीओएफ करने में लापरवाही बरतने संबंधी आरोप का उल्लेख नहीं है फिर भी इनके द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन ढिलाई बरती गयी।

अतएव अधिसूचना संख्या-382647 दिनांक 09.02.2021 द्वारा असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने के दंड को निरस्त करते हुये श्री अरविन्द कुमार के विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दंड अधिरूपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री कुमार के चारित्र्य में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

11 अक्तूबर 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (भा०) भा०-01/2019-598195—श्री सुनील कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीरपैती, भागलपुर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, समेली, कटिहार के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-09 प्र० दिनांक 23.03.2019 के द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। आरोप पत्र के आलोक में संकल्प ज्ञापांक-421736 दिनांक 26.04.2019 द्वारा निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अधिसूचना संख्या-270698 दिनांक 25.06.2020 द्वारा श्री कुमार को निलंबन मुक्त कर चेतावनी का दंड दिया गया।

उक्त दंड के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा प्रखंड कार्यालय, समेली, कटिहार के पत्रांक-817 दिनांक 29.04.2021 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। विभाग द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार के पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई भी नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत श्री कुमार के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुये इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

18 अक्तूबर 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) भोजपुर-07/2018-599926—श्री वीर बहादुर पाठक, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोईलवर, भोजपुर के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक 925 दिनांक 05.11.2018 द्वारा बिना अवकाश स्वीकृत कराये मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना, वरीय पदाधिकारी से दूरभाष पर धृष्टता पूर्वक बात करना एवं पूछे गए स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं देने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) के पत्रांक 183 दिनांक 03.02.2019 द्वारा श्री वीर बहादुर पाठक का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ।

श्री पाठक के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-466296 दिनांक 16.06.2021 के द्वारा निंदन का दंड अधिरोपित किया गया।

उक्त दंड के विरुद्ध श्री पाठक के द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

श्री पाठक से प्राप्त पुनर्विलोकन आवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि इसमें कोई नया तथ्य नहीं है।

अतः श्री पाठक से प्राप्त पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

27 अक्तूबर 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (सा०) गो०-03/2019-611293—श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैकुण्ठपुर, गोपालगंज के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-636/स्था० दिनांक 09.09.2019 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री गुप्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 466142 दिनांक 16.06.2021 द्वारा 'निंदन' का दंड अधिरोपित किया गया है।

उक्त दंड के विरुद्ध श्री गुप्ता द्वारा प्रखंड कार्यालय, बैकुण्ठपुर, गोपालगंज के पत्रांक-820 दिनांक 22.06.2021 से पुनर्विचार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। विभाग द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री गुप्ता के पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई भी नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत श्री गुप्ता के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुये इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

27 अक्तूबर 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (द०) मधु०-03/2021-611290—श्रीमती निवेदिता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजनगर, मधुबनी के विरुद्ध विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग के पत्रांक-622 दिनांक 09.02.2021 द्वारा आरोप प्राप्त है। आरोप में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर परिवाद की सुनवाईयों में अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित है।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पर श्रीमती निवेदिता के पत्रांक-1482 दिनांक 28.08.2021 से स्पष्टीकरण प्राप्त है जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विधि व्यवस्था संधारण एवं अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सके।

श्रीमती निवेदिता के विरुद्ध समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि इनका सतही स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः श्रीमती निवेदिता, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर, मधुबनी के विरुद्ध 'चेतावनी' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्रीमती निवेदिता की चारित्रि में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

27 अक्तूबर 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (द०) मधु०-06/2018-611289—श्री अहमर अब्दाली, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिस्फी, मधुबनी के विरुद्ध मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक जीविका के पत्रांक-

BRLPS-LSBA/Admn/16/18/337 दिनांक 23.07.2018 द्वारा जियो टैगिंग में शिथिलता का आरोप प्रतिवेदित करते हुये कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री अब्दाली से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-435310 दिनांक 31.07.2019 के द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक जीविका से मंत्र्य की मांग की गयी। जीविका के पत्रांक- BRLPS-LSBA/Admn/16/18/1101 दिनांक 15.02.2020 से मंत्र्य प्राप्त हुआ जिसमें श्री अब्दाली को सख्त चेतावनी निर्गत करते हुये दिनांक 29.02.2020 तक शत प्रतिशत जियो टैगिंग का निदेश देने एवं उक्त तिथि तक अपेक्षित प्रगति नहीं किये जाने के उपरांत पुनः स्पष्टीकरण प्राप्त करने का मंत्र्य प्रतिवेदित किया गया। तदालोक में विभागीय ज्ञापांक-460978 दिनांक 24.03.2020 द्वारा श्री अब्दाली को तत्संबंधी निदेश देते हुए उनसे अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गयी।

श्री अब्दाली से कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिस्फी, मधुबनी के पत्रांक-305 दिनांक 19.01.2021 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि 185 जियो टैगिंग लंबित है एवं शेष 4303 का शौचालय निर्मित नहीं है। स्पष्टतः शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की गयी। अतएव इनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री अहमर अब्दाली, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिस्फी, मधुबनी को जियो टैगिंग में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में शिथिलता बरतने के लिए 'असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दंड' अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री अहमर अब्दाली के चारित्री पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरगन डी०, सचिव।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

18 अक्टूबर 2021

सं० भा०व०से० (स्था०)-15/2019-3044/प०व०—श्री अनिल कुमार प्रसाद, भा०व०से०, (BH:88), को प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर-16) में प्रोन्नति के फलस्वरूप उनके द्वारा वर्तमान धारित पद अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, अनुसंधान एवं विस्तार, बिहार, पटना को उनके पदस्थापन काल तक के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर-16) में उत्क्रमित एवं समकक्ष घोषित करते हुए उन्हें प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, अनुसंधान एवं विस्तार, बिहार, पटना के उत्क्रमित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री अनिल कुमार प्रसाद, भा०व०से०, प्रबंध निदेशक, बिहार वानिकी विकास निगम लि., पटना, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वन विकास निगम लि., पटना एवं उसके अनुशंगी इकाई के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० भा०व०से० (स्था०)-15/2019-3045/प०व०—श्री सी.पी. खण्डूजा, भा०व०से०, (BH:89), को प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर-16) में प्रोन्नति के फलस्वरूप उनके द्वारा वर्तमान धारित पद निदेशक, सामाजिक वानिकी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को उनके पदस्थापन काल तक के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर-16) में उत्क्रमित एवं समकक्ष घोषित करते हुए उन्हें प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-निदेशक, सामाजिक वानिकी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के उत्क्रमित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं० भा०व०से० (स्था०)-15/2019-3046/प०व०—श्री अरविन्दर सिंह, भा०व०से०, (BH:95), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना, अतिरिक्त प्रभार — मुख्य वन संरक्षक (आई.टी.), बिहार, पटना एवं मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य कैम्पा प्राधिकरण, बिहार के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

8 अक्टूबर 2021

सं० 1/स्था० (2) 01/ 2020-2811—वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566 दिनांक 14.07.2010 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक 10.08.2021 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नवत् बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतन बैंड 3 ग्रेड वेतन 7600/- रुपये में निम्नवत् सूची के क्रमांक-4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	जन्म तिथि/नियुक्ति की तिथि	द्वितीय एम०ए०सी०पी० की देय तिथि (वेतन बैंड 3 ग्रेड वेतन 7600/-)
1	2	3	4
1	डा० रामचन्द्र कुमार रवि भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गढ़ियाबलुआ, पूर्णिया सम्प्रति भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सोनवर्षा, सहरसा	21.03.1970 02.05.1995	02.05.2015
2	डा० राजेश कुमार सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, खगड़िया सम्प्रति भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, दलसिंगसराय, समस्तीपुर	05.11.1969 24.05.1995	24.05.2015
3	डा० कुन्दन कुमार मिश्रा भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, चकाई, जमुई सम्प्रति पशु शल्य चिकित्सक, कटिहार	20.05.1967 22.05.1992	22.05.2012
4	डा० सूर्य नारायण सिंह पशुपालन पदाधिकारी (प०वि०), वृ०प०वि०परि० (क्षेत्र), छपरा सम्प्रति जिला पशुपालन पदाधिकारी, सारण, छपरा	04.06.1965 05.04.1991	05.04.2011
5	डा० सत्य नारायण यादव भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बहादुरगंज, किशनगंज सम्प्रति परियोजना पदाधिकारी, फ़ोजेन सिमेन बैंक, पूर्णिया	02.06.1965 04.04.1991	04.04.2011

2. उपर्युक्त पदाधिकारी के रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किये जाने के निमित्त भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैंड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारियों को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृत्ति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
केशवेन्द्र कुमार, विशेष सचिव।

8 अक्टूबर 2021

सं० 1/स्था० (2) 01/ 2020-2813—वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 वि० (2) दिनांक-25.06.2003 तथा अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक-23.03.2006 के संदर्भ में दिनांक 10.08.2021 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को 12 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 10000-15200/- रुपये एवं द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 12000-16500/- रुपये में निम्नवत सूची के क्रमांक-4 एवं 5 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	जन्म तिथि/नियुक्ति की तिथि	प्रथम ए०सी०पी० की देय तिथि (वेतनमान 10000-15200/-)	द्वितीय ए०सी०पी० की देय तिथि (वेतनमान 12000-16500/-)
1	2	3	4	5
1	डा० रमेश प्रसाद सिंह सेवानिवृत्त पशुपालन पदाधिकारी, ल०प०वि०परि०, कटिहार	03.02.1946 05.03.1975	09.08.1999	09.08.1999
2	डा० उपेन्द्र नारायण यादव सेवानिवृत्त जिला पशुपालन पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया	06.06.1957 13.04.1983	09.08.1999	13.04.2007
3	स्व० डा० एहसान अहमद सिद्दिकी, भूतपूर्व सहायक निदेशक, पशुपालन, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा	07.10.1946 18.08.1973	09.08.1999	09.08.1999

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्वा महालेखाकार/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किये जाने के निमित्त भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैंड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृत्ति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
केशवेन्द्र कुमार, विशेष सचिव।

8 अक्टूबर 2021

सं० 1/स्था० (2) 01/ 2020-2815—वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 वि० (2) दिनांक 25.06.2003 तथा अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक-23.03.2006 के संदर्भ में दिनांक-10.08.2021 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 10000-15200/- रुपये में निम्नवत सूची के क्रमांक-4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	जन्म तिथि/नियुक्ति की तिथि	प्रथम ए०सी०पी० की देय तिथि (वेतनमान 10000-15200/-)
1	2	3	4
1.	स्व० डा० नरेन्द्र कुमार मिश्र सेवानिवृत्त भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास	08.01.1943 01.09.1965	09.08.1999
2.	स्व० डा० शत्रुघ्न प्रसाद सिंह सेवानिवृत्त भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, चिलबिला, रोहतास	27.07.1953 20.04.1979	09.08.1999

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किये जाने के निमित्त भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैंड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृत्ति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
केशवेन्द्र कुमार, विशेष सचिव।

8 अक्टूबर 2021

सं० 1/स्था० (2) 01/ 2020-2817—वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566 दिनांक 14.07.2010 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक 10.08.2021 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नवत् बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारी को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतन बैंड 3 ग्रेड वेतन 6600/- रुपये में निम्नवत् सूची के क्रमांक-4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	जन्म तिथि/ नियुक्ति की तिथि	प्रथम ए०सी०पी० की देय तिथि (वेतन बैंड 3 ग्रेड वेतन 6600/-)
1	2	3	4
1	डा० एजाज कासिम सेवानिवृत्त अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, शेखपुरा	20.07.1960 11.10.1983	06.12.2017

2. उपर्युक्त पदाधिकारी के रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किये जाने के निमित्त भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैंड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारियों को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृत्ति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
केशवेन्द्र कुमार, विशेष सचिव।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

11 अक्टूबर 2021

सं० 01/रा०स्था०स्थाना०-40/2021 सह०-2834—श्री रामाश्रय राम, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी (अतिरिक्त प्रभार—महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी., पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/ सहायक निबंधक, स.स., मोतिहारी/ सिकरहना) को अपने कार्यों के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि., मोतिहारी का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

2. श्री अनिल कुमार गुप्ता, प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., समस्तीपुर (अतिरिक्त प्रभार—जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर/सहायक निबंधक, स.स., समस्तीपुर/दलसिंह सराय/रोसड़ा/पटोरी/व्याख्याता, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर) को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सियाराम सिंह, उप—सचिव।

11 अक्टूबर 2021

सं० 01/रा०स्था०(निजी)—59/2020 सह०/2832—वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—1562(22) दिनांक 30.09.2021 के आलोक में मो. इम्तियाज अहमद, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., नालंदा को अपने पुत्री को विवाह हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में निहित प्रावधानानुसार दिनांक—06.10.2021 से 27.10.2021 तक कुल 22 (बाईस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त स्वीकृति के पश्चात् 278 (दो सौ अठहत्तर) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रहेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सियाराम सिंह, उप—सचिव।

30 सितम्बर 2021

सं० 01/रा.स्था.स्थाना.—40/2021 सह.—2707—श्री रामाश्रय राम, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी (अतिरिक्त प्रभार— सहायक निबंधक, स.स., मोतिहारी/सिकरहना) को अपने कार्यों के अतिरिक्त महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी., पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

2. श्री ललन कुमार शर्मा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेगूसराय (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बेगूसराय/सहायक निबंधक, स.स., बेगूसराय) को अपने कार्यों के अतिरिक्त महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी., बेगूसराय का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

3. श्री रंजीत कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णियाँ (अतिरिक्त प्रभार—सहायक निबंधक, स.स., पूर्णियाँ) को अपने कार्यों के अतिरिक्त महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी., पूर्णियाँ का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सियाराम सिंह, उप—सचिव।

16 सितम्बर 2021

सं० 01/रा०स्था०एम०ए०सी०पी०-30/2021 सह०-2550—बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त 'रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010, के प्रावधानों के तहत बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा सर्वग के निम्न पदाधिकारियों को स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से लेवल-12 से लेवल-13 में तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम/ पदनाम/मूल कोटि वरीयता	पदस्थापन स्थान/कार्यालय	तृतीय वित्तीय उन्नयन अनुमान्यता की तिथि
1	2	3	4
1	मो० मुजीबुर रहमान, उप निबंधक, सहयोग समितियाँ 07/18	संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।	12.09.2019
2	श्री जवाहर प्रसाद, उप निबंधक, सहयोग समितियाँ 08/18	उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।	27.10.2020

3	श्री विरेन्द्र ठाकुर, उप निबंधक, सहयोग समितियाँ 10/18	उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर।	27.10.2020
4	श्री अखिलेश कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ 13/18	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना।	01.11.2020
5	श्री विनोद, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ 15/18	सचिव, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिकरण, पटना।	14.11.2020
6	श्री कुमार शांत रक्षित, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ 16/18	विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।	22.02.2021
7	श्री बबन मिश्र, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ 17/18	तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, भोजपुर, आरा सम्प्रति सेवानिवृत्त।	30.10.2020
8	श्री शशि शेखर सिन्हा, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ 18/18	उप निबंधक, सहयोग समितियाँ (ईख), बिहार।	08.11.2020

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2010, के नियम परिशिष्ट-I के प्रावधानों एवं समय-समय पर इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

3. गैर संवर्गीय/बाह्य सेवा शर्तों/सहकारी संस्थाओं में पदस्थापन अवधि का एम०ए०सी०पी० लाभ स्वीकृति के फलस्वरूप बकाया राशि का भुगतान संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

4. रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ स्वीकृति में किसी कारणों से भविष्य में संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित पदाधिकारी को स्वीकृत लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द/संशोधित किया जा सकेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी अधिक राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सियाराम सिंह, उप—सचिव।

8 सितम्बर 2021

सं० 01/रा०स्था०एम०ए०सी०पी०—30/2021 सह०—2474—विभागीय अधिसूचना सं०—1905 दिनांक 30.06.2020 द्वारा बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त 'रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010, के प्रावधानों के तहत श्री सैयद मशरूख आलम, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी को दिनांक 18.12.2015 के प्रभाव से प्रदत्त द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की तिथि को संशोधित करते हुए दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सियाराम सिंह, उप—सचिव।

8 सितम्बर 2021

सं० 01/रा०स्था०एम०ए०सी०पी०—30/2021 सह०—2473—विभागीय अधिसूचना सं०—2097 दिनांक 27.08.2020 द्वारा बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त 'रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010, के प्रावधानों के तहत श्री चन्द्रशेखर सिंह, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को दिनांक 16.08.2019 के प्रभाव से प्रदत्त तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन को तत्कालीन प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सियाराम सिंह, उप—सचिव।

8 सितम्बर 2021

सं० 01/रा०स्था०एम०ए०सी०पी०—30/2021 सह०—2472—बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त 'रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010, के प्रावधानों के तहत बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को

स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से पी0बी0-3, ग्रेड वेतन-6600/- (पुनरीक्षित लेवल-11) से पी0बी0-3, ग्रेड वेतन-7600/- (पुनरीक्षित लेवल-12) में द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम/ पदनाम/मूल कोटि वरीयता	पदस्थापन स्थान/कार्यालय	द्वितीय वित्तीय उन्नयन अनुमान्यता की तिथि
1	2	3	4
1	श्री दिनेश कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ 02/18	उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना।	01.04.2010
2	श्री अखिलेश कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ 13/18	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना।	01.11.2010
3	श्री प्रभाकर कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ 45/18	जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर।	01.04.2016

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2010, के नियम परिशिष्ट-I के प्रावधानों एवं समय-समय पर इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

3. गैर संवर्गीय/बाह्य सेवा शर्तों/सहकारी संस्थाओं में पदस्थापन अवधि का एम०ए०सी०पी० लाभ स्वीकृति के फलस्वरूप बकाया राशि का भुगतान संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

4. रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ स्वीकृति में किसी कारणों से भविष्य में संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित पदाधिकारी को स्वीकृत लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द/संशोधित किया जा सकेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी अधिक राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

5. इसमें माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सियाराम सिंह, उप-सचिव।

8 सितम्बर 2021

सं० 01/रा०स्था०एम०ए०सी०पी०-30/2021 सह०-2471—बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त 'रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010, के प्रावधानों के तहत बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा सवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से लेवल-9 से लेवल-11 में प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम/ पदनाम/मूल कोटि वरीयता	पदस्थापन स्थान/कार्यालय	प्रथम वित्तीय उन्नयन अनुमान्यता की तिथि
1	2	3	4
1	श्री सुभाष कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ 50/18	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (अ०र०), कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।	01.04.2021
2	श्री मिथिलेश कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ 66/18	जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर।	25.03.2021

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2010, के नियम परिशिष्ट-I के प्रावधानों एवं समय-समय पर इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

3. गैर संवर्गीय/बाह्य सेवा शर्तों/सहकारी संस्थाओं में पदस्थापन अवधि का एम०ए०सी०पी० लाभ स्वीकृति के फलस्वरूप बकाया राशि का भुगतान संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

4. रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ स्वीकृति में किसी कारणों से भविष्य में संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित पदाधिकारी को स्वीकृत लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द/संशोधित किया जा सकेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी अधिक राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

5. इसमें माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सियाराम सिंह, उप-सचिव।

8 सितम्बर 2021

सं० 01/रा०स्था०(पदस्थापन)-39/2021 सह०/2470—श्री रविन्द्र कुमार लाभ, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, मुजफ्फरपुर को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, मधुबनी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सियाराम सिंह, उप—सचिव।

8 सितम्बर 2021

सं० 01/रा०स्था०एम०ए०सी०पी०—30/2021 सह०—2468—बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त 'रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010, के प्रावधानों के तहत बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से लेवल-9 से लेवल-11 में प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम/ पदनाम/मूल कोटि वरीयता	पदस्थापन स्थान/कार्यालय	प्रथम वित्तीय उन्नयन अनुमान्यता की तिथि
1	2	3	4
1	श्री मुकेश कुमार, उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ 03/15	उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा।	01.01.2016
2	श्री अरविन्द कुमार अजय, उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ 04/15	उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ, कोशी एवं दरभंगा प्रमंडल, सहरसा।	01.01.2016
3	श्री सुभाष चन्द्र वर्मा, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ 10/15	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, गया।	09.08.2020
4	श्री राजेश कुमार, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ 11/15	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।	07.08.2020

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2010, के नियम परिशिष्ट-I के प्रावधानों एवं समय-समय पर इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

3. गैर संवर्गीय/बाह्य सेवा शर्तों/सहकारी संस्थाओं में पदस्थापन अवधि का एम०ए०सी०पी० लाभ स्वीकृति के फलस्वरूप बकाया राशि का भुगतान संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

4. रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ स्वीकृति में किसी कारणों से भविष्य में संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित पदाधिकारी को स्वीकृत लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द/संशोधित किया जा सकेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी अधिक राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

5. इसमें माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सियाराम सिंह, उप—सचिव।

बिहार विधान सभा सचिवालय**अधिसूचनाएं****6 अक्टूबर 2021**

सं० 1स्था०-214/2021-1996/वि०स०।—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार विधान सभा सचिवालय में प्रशाखा पदाधिकारी के पद के लिए अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-09 में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है:-

क्रम सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम एवं पता	जन्म तिथि	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर
1.	296838	सीतेश कुमार झा	श्री विजय कुमार झा ग्राम+पोस्ट-नेऊरी, थाना-बिरौल, जिला-दरभंगा, बिहार, पिन-847103	15.05.1993	44	01

क्रम सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम एवं पता	जन्म तिथि	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर
2.	448726	राजीव रंजन	श्री राम नरेश कुमार सिन्हा द्वारा-आर.एन.के. सिन्हा, ग्राम+पोस्ट-ओईयाव, थाना-अस्थावां, जिला-नालंदा, बिहार, पिन-803103	15.01.1995	46	01
3.	338950	पूर्णदु शेखर दास	श्री बिनोद बिहारी दास रोड नं०-1, पंचशील नगर, पण्डरा, रातू रोड, पोस्ट-हेहल, राँची, झारखण्ड, पिन-834005	02.09.1991	52	01
4.	355292	अमितेष रंजन	श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव सी/3, लाल तारा भवन, ए.जी. कॉलोनी, शास्त्रीनगर, पटना, बिहार, पिन-800025	08.08.1984	57	01
5.	490030	चंदन कुमार	श्री राम उदय चौधरी मुहल्ला-सर्वोदय नगर, महंत कॉलेज के पीछे, वार्ड संख्या-40, पोस्ट-मिर्जापुर बंदार, जिला-बेगूसराय, बिहार, पिन-851129	11.02.1988	62	01
6.	206958	सुशील कुमार	श्री राम अवतार आराजी नं०-202, पंचवटी विनायकपुर, निकट झण्डा चौराहा, पोस्ट-नवीन नगर, थाना-कल्याणपुर, तहसील-कानपुर सदर, कानपुर नगर, उत्तरप्रदेश, पिन-208025	11.09.1990	77	01
7.	550303	सुन्दरम आनंद	श्री सर्वदानंद कुमार ग्राम-ध्रुवगंज, पोस्ट-खरीक बाजार, जिला-भागलपुर, बिहार, पिन-853202	16.04.1986	80	01
8.	142232	सुधांशु राय	श्री शैलेन्द्र कुमार राय लोहदी, महावीर मार्ग, हनुमान मंदिर के नजदीक, मिर्जापुर, उत्तरप्रदेश, पिन-231001	06.10.1994	87	01
9.	549017	शिल्पा यादव	श्री रामानंद यादव मकान नं०-48/56-ए, गली नं०-13, नई बस्ती, आनंद पर्वत, नई दिल्ली, पिन-110005	10.01.1991	88	01
10.	180081	कौशलेन्द्र कुमार	श्री नरेश प्रसाद ग्राम-नवाबचक, पोस्ट-गुरुआ, थाना-गुरुआ, जिला-गया, बिहार, पिन-824205	12.07.1995	91	04
11.	272124	हर्ष प्रताप सिंह	श्री प्रताप जगदीश सिंह पिता-प्रताप जगदीश सिंह, ग्राम-पुरैनी बाजार, ब्लॉक+पोस्ट+थाना-पुरैनी, उदा किशुनगंज मधेपुरा, बिहार, पिन-852116	31.01.1996	119	05
12.	534034	कनुप्रिया मिश्रा	श्री अरुण कुमार 295के.ए., वार्ड नं०-23, बेलबनवा, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, बिहार, पिन-845401	14.08.1992	136	01

क्रम सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम एवं पता	जन्म तिथि	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर
13.	221605	मीमाँशा चौधरी	श्री धर्मनाथ चौधरी द्वारा-धर्मनाथ चौधरी, 108, गाँधी चौक, ग्राम-खुटौना, जिला-मधुबनी, बिहार, पिन-847227	05.03.1995	143	01
14.	228982	जयंती	श्री सुबोध कुमार मोहल्ला-बेला शंकर, वार्ड नं-03, पोस्ट-लालबाघ, थाना-ल.ना.मि.वि.वि. थाना, जिला-दरभंगा, बिहार, पिन-846004	21.03.1996	155	01
15.	314341	शशि भूषण कुमार	श्री राज किशोर साह ग्राम+पोस्ट-शुभंकरपुर, थाना-नगर, जिला-दरभंगा, बिहार, पिन-846006	26.01.1992	180	04
16.	243321	शिवांशु आनंद	श्री कैलाश प्रसाद शर्मा ग्राम-मसदी (पूर्वी), पोस्ट+थाना-सुल्तानगंज, जिला-भागलपुर, बिहार, पिन-813213	01.03.1983	188	04
17.	131776	नेहा भारती	श्री गजेन्द्र मोहन प्रसाद ग्राम+पोस्ट-बेला मच्छपकौनी, वार्ड नं०-05, थाना-बेला, प्रखंड-परिहार, अनुमंडल-सीतामढ़ी, सदर, जिला-सीतामढ़ी, बिहार, पिन-843324	11.01.1994	205	05
18.	405479	रुशदा रहमान	श्री अतुर रहमान रौयल एलेक्ट्रीकल्स, मौरया घाट, लाल मकान, गया, बिहार, पिन-823001	05.01.1991	229	06
19.	350628	प्रज्ञाग्नि	श्री राम चंद्र महतो पिता-राम चंद्र महतो (अधिवक्ता), मंसरी तल्ले, मुंगेर, बिहार, पिन-811201	25.12.1991	318	05(VI)
20.	504164	शिरिष कुमार	श्री विश्वनाथ बैठा ग्राम-गौसपुर, चकमजाहिद, थाना-महुआ, जिला-वैशाली, बिहार, पिन-844122	15.10.1988	748	02
21.	300850	सौरभ प्रकाश	श्री ओम प्रकाश मंडल पिता-ओम प्रकाश मंडल, ग्राम+पोस्ट-जोठा, थाना-धोरैया, जिला-बांका, बिहार, पिन-813109	08.12.1989	752	02
22.	165305	पूनम कुमारी	श्री योगेन्द्र राम पिता-योगेन्द्र राम, मुहल्ला-बागमली, पोस्ट-हाजीपुर, थाना-हाजीपुर नगर, जिला-वैशाली, बिहार, पिन-844101	09.01.1986	1026	02
23.	547268	महिमा प्रभाकर	श्री रमेश पासवान द्वारा-स्व० छोटे लाल, मो०-लालजी टोला, पोस्ट-जी.पी.ओ., थाना-गाँधी मैदान, सरकारी स्कूल के पास, पटना, बिहार, पिन-800001	16.02.1992	1182	02

2. वैसे अभ्यर्थीगण जिनका चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ अगले छः माह के लिए की जाती है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त नहीं होने पर उनकी सेवा तत्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी। छः माह के अन्दर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस औपबंधिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा अगले छः माह के लिए अनुमोदन प्राप्त कर विस्तारित करने की कार्यवाई की जायेगी।

3. भविष्य में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।
4. सभी नियुक्त अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
5. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-1964, दिनांक 21.08.2005 एवं पत्रांक-768 पे०को०, दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
6. सभी नवनियुक्त प्रशाखा पदाधिकारी दिनांक 18.10.2021 तक बिहार विधान सभा सचिवालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे।
7. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा-पत्र एवं मद्य निषेध कानून का अनुपालन संबंधी घोषणा पत्र योगदान देने के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
8. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असेैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
9. अभ्यर्थियों को योगदान देने हेतु आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियुक्ता के अंतर्गत सेवारत हैं, योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी को अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
पवन कुमार सिन्हा, उप-सचिव।

6 अक्टूबर 2021

सं० 1स्था०-198/2021-1998/वि०स०।—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार विधान सभा सचिवालय में जनसंपर्क पदाधिकारी के पद के लिए अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-09 में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ जनसंपर्क पदाधिकारी के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है:-

क्रम सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम एवं पता	जन्म तिथि	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर
1.	174853	प्रभात कुमार	श्री उदय नाथ झा द्वारिकापुरी, गाँव-दिलावरपुर, थाना-बहादुरपुर, डाकघर-मिल्कीचक, जिला-दरभंगा, पिन-846009	04.02.1995	48	01
2.	454363	आकाश दीप	श्री अशोक कुमार गुप्ता गुप्ता मेडिकल हॉल, छोटी बलिया, स्टेशन रोड, लखमिनिया, बेगूसराय, पिन-851211	30.05.1990	171	04

2. वैसे अभ्यर्थी जिनका चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ अगले छः माह के लिए की जाती है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त नहीं होने पर उनकी सेवा तत्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी। छः माह के अन्दर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस औपबंधिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा अगले छः माह के लिए अनुमोदन प्राप्त कर विस्तारित करने की कार्रवाई की जायेगी।

3. भविष्य में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

4. दोनों नियुक्त अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

5. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-1964, दिनांक 21.08.2005 एवं पत्रांक-768 पे०को०, दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

6. दोनों नवनियुक्त जनसंपर्क पदाधिकारी दिनांक 18.10.2021 तक बिहार विधान सभा सचिवालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे।

7. दोनों अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा-पत्र एवं मद्य निषेध कानून का अनुपालन संबंधी घोषणा पत्र योगदान देने के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

8. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

9. अभ्यर्थियों को योगदान देने हेतु आने—जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अंतर्गत सेवारत हैं, योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी को अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
पवन कुमार सिन्हा, उप—सचिव।

18 अक्टूबर 2021

सं० 1 स्था०-229/2021-2084/वि०स०।-बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 की धारा-6(क) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार के राज्यपाल ने सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-7/डी 01-305/96 सा०प्र०-12227, दिनांक 18.10.2021 एवं पटना उच्च न्यायालय, पटना की अधिसूचना संख्या-47437-47452, दिनांक 18.10.2021 के अनुसरण में श्री शैलेन्द्र सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा को सचिव, बिहार विधान सभा के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
पवन कुमार सिन्हा, उप—सचिव।

18 अक्टूबर 2021

सं० 1 स्था०-230/2021-2082/वि०स०।-बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 की धारा-6(क) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार के राज्यपाल ने सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-7/ए 1-303/95 सा०प्र०-12226, दिनांक 18.10.2021 एवं पटना उच्च न्यायालय, पटना की अधिसूचना संख्या-47504-47519, दिनांक 18.10.2021 के अनुसरण में श्री पवन कुमार पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेतिया को संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
पवन कुमार सिन्हा, उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 29—571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश,
अधिसूचनाएं और नियम आदि।

सामान्य प्रशासन विभाग

शुद्धि-पत्र

7 सितम्बर 2021

सं० 2/आरोप-01-41/2014-सा0प्र0-10076—श्री अशोक कुमार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 621/11, तत्कालीन जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज-सह-प्रभारी अधीक्षक, मंडल कारा, गोपालगंज के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3245 दिनांक 08.03.2019 द्वारा (i) निन्दन एवं (ii) दो वेतनवृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया था।

उक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री कुमार के पत्रांक-कैम्प दिनांक 25.03.2019 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3245 दिनांक 08.03.2019 को द्वारा अधिरोपित दंडादेश को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9756 दिनांक 22.07.2019 द्वारा यथावत् रखा गया।

उक्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9756 दिनांक 22.07.2019 में टंकन भूलवश विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3245 दिनांक 08.03.2019 के स्थान पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3243 दिनांक 08.03.2019 अंकित हो गया है, जिसे **विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3245 दिनांक 08.03.2019** पढ़ा जाय।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 29—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद
विद्यापति मार्ग, पटना-800001

अधिसूचनाएं
24 मार्च 2021

सं० 3511—भागलपुर जिलान्तर्गत श्रीराम जानकी रमणजी सुजापुर ठाकुरबाड़ी, नाथनगर, जिला—भागलपुर, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०-314 है।

उक्त न्यास के संचालन हेतु पर्वदीय आदेश पत्रांक— 862, दि०— 22/09/2014 द्वारा महंत राम किंकर दास को अस्थायी न्यासधारी बनाया गया था। श्री दास वर्ष 2013 से 2020 तक की आय-व्यय विवरणी जब पर्वद द्वारा उन्हें विभिन्न नोटिस द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, तब दि०— 08/09/2020 एवं दि०— 13/12/2020 दाखिल की है, जो स्पष्ट करता है कि महंत द्वारा मठ की भूमि से होने वाली आय का सही विवरण नहीं दिया जा रहा है। महंतजी एवं मंदिर की भूमि पर रह रहे किरायेदार जो वहां रहकर व्यवसाय कर रहे हैं, के बीच काफी विवाद हो चुका है। इन्हीं सब परिस्थितियों पर विचार करते हुये वर्ष 2016 से ही न्यास समिति बनाये जाने हेतु अंचलाधिकारी से नामों की मांग की जा रही थी, परंतु पूर्व में प्रस्ताव नहीं प्राप्त होने के कारण महंत जी द्वारा ही ठाकुरबाड़ी की देखभाल की जा रही है। अंचलाधिकारी, नाथनगर के पत्रांक— 295, दि०— 26/02/2020 द्वारा 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसका पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन भी दि०— 09/11/2020 को पर्वद को प्राप्त हो चुका है।

उपरोक्त परिस्थिति में उक्त न्यास के सुचारु प्रबंधन, मठ तथा संबंधित भूमि की सुरक्षा तथा व्यवसायियों के विवाद के निस्तारण हेतु एवं इस न्यास का सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा— 32 में धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०— 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए “श्री राम जानकी रमणजी सुजापुर ठाकुरबाड़ी, नाथनगर, जिला— भागलपुर” के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा— 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री राम जानकी रमणजी सुजापुर ठाकुरबाड़ी न्यास योजना, नाथनगर, जिला— भागलपुर” होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री राम जानकी रमणजी सुजापुर ठाकुरबाड़ी न्यास समिति, नाथनगर, जिला— भागलपुर” होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् संचालन सुनिश्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर (यदि पूर्व से न्यास के नाम से खाता संचालित हो, तो उसमें) जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।
4. न्यास के खाता का संचालन सचिव, कोषाध्यक्ष एवं महंत के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। बैंक खाता नं०— 3492294167 (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया), शाखा नाथनगर, भागलपुर, जो वर्तमान में महंत रामकिंकर दास के नाम से है, जिसका नाम परिवर्तन कर श्री रामजानकी रमण ठाकुरबाड़ी, सुजापुर के नाम करवाकर उक्त तीनों व्यक्तियों के नाम से संचालन किया जायेगा।
5. मठ/मंदिर परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
10. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।
12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिवित्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
17. नवगठित न्यास समिति महंत राम किंकर दास के द्वारा दिये गये निर्देशों का उचित सम्मान करेगी तथा मंदिर में जो राशि, चढ़ावा के रूप में, जो फल, फूल, मिष्ठान्न व राशि प्राप्त होगी, उस पर महंत का अधिकार होगा। न्यास समिति मंदिर की भूमि की बंदोवस्ती, दान-पेटी से प्राप्त आय तथा रसीद से प्राप्त आय के हकदार होंगे, जिसमें से प्राप्त राशि से महंत जी को चिकित्सा, यात्रा एवं धार्मिक आयोजन मंदिर के राग-भोग आदि हेतु उनके आवश्यकतानुसार देंगे।

उपर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

- | | |
|---|-------------|
| (1) महंत रामकिंकर दास, श्री जानकी रमणजी सुजापुर ठाकुरबाड़ी, नाथनगर, भागलपुर | —संरक्षक |
| (2) श्री भवेश यादव पिता-स्व० दालेश्वर यादव, सा०-नरगा, नाथनगर, भागलपुर | — अध्यक्ष |
| (3) श्री देवाशीष बनर्जी पिता-स्व० शिवदास बनर्जी, सा०-बंगाली टोला, चम्पा नगर, नाथनगर | —सचिव |
| (4) प्र० मधुसुदन झा पिता-स्व० कमलाकांत झा, सा०-ललित ना० सिंह लेन, सुजापुर, नाथनगर | —कोषाध्यक्ष |
| (5) श्री विष्णुदेव मंडल पिता-स्व० स्व० जंगली मंडल, सा०-वसंतपुर, दोगच्छी, नाथनगर | —सदस्य |
| (6) श्रीमति आनंदलता कुमारी पति-श्री दीपक यादव, सा०-अनाथालय रोड, नाथनगर | — सदस्य |
| (7) श्रीमति नीलम देवी पति-श्री विजय प्र० यादव, सा०-सुजापुर, नाथनगर | — सदस्य |
| (8) श्री अशोक राय पिता-श्री सहदेव राय सा०-नरगा, नाथनगर, भागलपुर | — सदस्य |
| (9) श्री संजय कुमार पिता- श्री सुधीर प्र० साह, सा०-के०बी० लाल रोड, नाथनगर | — सदस्य |
| (10) श्री शिवशंकर सिन्हा पिता-स्व० वेचन प्र० सिन्हा, सा०-पुरानी सराय, नाथनगर | — सदस्य |
| (11) श्री बासुकी रजक पिता-स्व० हरि रजक, सा०-धोबी टोला, नाथनगर | — सदस्य |

उक्त न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले पाँच वर्ष का होगा।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि "श्री राम जानकी रमणजी सुजापुर ठाकुरबाड़ी, नाथनगर, जिला- भागलपुर" के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:-न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलान/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

26 मार्च 2021

सं० 3563—भागलपुर जिलान्तर्गत श्री आदिशक्ति शृंगल महामाया देवी ओरियप मंदिर, ग्राम- ओरियप, थाना-अन्तिचक, भाया- कहलगौव, जिला-भागलपुर, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०-3993 है।

इस न्यास की सुव्यवस्था हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक- 3781, दि०- 19/02/16 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगौव की अध्यक्षता में 05 वर्षों के लिए एक न्यास समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया है। उक्त मंदिर के संबंध में की जा रही सुनवायी दि०- 26/02/2021 में श्री बंदी मंडल, श्री शक्ति मंडल अपने अधिवक्ता

के साथ उपस्थित हुये तथा उनके द्वारा पर्षद के पूर्व आदेश के आलोक में 05 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव न्यास समिति में रखे जाने हेतु किया गया तथा अपनी वंशावली भी दाखिल की एवं प्रार्थना किया कि समर्पणनामा में मंदिर में कार्य करने हेतु इनके पुर्वजों को अधिकृत किया गया था, इनके पूर्वज तुलाराव इन्हीं के वंशज से आते हैं, लिहाजा न्यास समिति में इनके परिवार के सदस्य का भी नाम रखा जाए। सचिका से स्पष्ट है कि पूर्व में न्यास समिति का गठन किया गया था, परंतु तुला राउत के परिवार के सदस्यों द्वारा न्यास समिति को सुचारु रूप से कार्य करने में बार-बार बाधा उत्पन्न की जाती रही है। दिनांक 15/12/2020 को तुला राउत के वंशज उपस्थित हुये और यह स्वीकार किया कि यह उनकी निजी मंदिर नहीं है, परंतु पिछले कई पीढ़ियों से इस मंदिर का पूजा-पाठ, राग-भोग सेवायत के रूप में करते आ रहे हैं। दि०- 26/02/2021 की सुनवायी में कथन किया गया कि समिति में उनके द्वारा प्रस्तावित कुछ सदस्यों को रखा जाय, जिससे ग्रामीणों के साथ मिलकर आपसी सौहार्दपूर्ण माहौल में मंदिर में विकास का कार्य किया जाये। पत्रांक-866, दिनांक 08/09/2020 द्वारा अंचलाधिकारी, कहलगाँव से भी न्यास समिति गठन हेतु नामों की सूची प्राप्त है।

उपरोक्त परिस्थिति में अंचलाधिकारी, कहलगाँव से प्राप्त सूची दि०- 08/09/2020 तथा तुला राउत के वंशज जो पर्षद के समक्ष उपस्थित हुये, उनके द्वारा दाखिल वंशावली तथा प्रस्तावित नामों पर विचारोपरांत उक्त न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु बि० हि० धा० न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन हेतु एक "अस्थायी" न्यास समिति का गठन एक वर्ष के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए "श्री आदि शक्ति शृंगल महामाया देवी ओरियप मंदिर, ग्राम-ओरियप, थाना- अन्तिचक, भाया- कहलगाँव, जिला- भागलपुर" के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "श्री आदिशक्ति शृंगल महामाया देवी ओरियप मंदिर न्यास योजना, ग्राम- ओरियप, थाना- अन्तिचक, भाया- कहलगाँव, जिला- भागलपुर" होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम "श्री आदिशक्ति शृंगल महामाया देवी ओरियप मंदिर न्यास समिति, ग्राम- ओरियप, थाना- अन्तिचक, भाया- कहलगाँव, जिला- भागलपुर" होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् संचालन सुनिश्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर (यदि पूर्व से न्यास के नाम से खाता संचालित हो, तो उसमें वर्तमान सचिव एवं कोषाध्यक्ष का नाम अंकित करा कर उसी बैंक खाते का संचालन किया जाएगा) जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।
4. न्यास के खाता का संचालन सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाय।
5. मठ/मंदिर परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
10. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्षद को सम्यक् प्रेषण करेगी।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।
12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:—

(1) अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगाँव, जिला— भागलपुर	—	अध्यक्ष
(2) श्री बद्री मंडल पिता— कुलदीप मंडल	—	उपाध्यक्ष
(3) श्री प्रकाश मंडल पिता— गोपाल मंडल	—	सचिव
(4) श्री विजय मंडल पिता— भदो मंडल	—	उप सचिव
(5) श्री अम्भो कुमार मंडल पिता— जगदीश मंडल	—	कोषाध्यक्ष
(6) श्री अमरेन्द्र कुमार पिता— स्व० अर्जुन मंडल	—	सदस्य
(7) श्री कैलाश मंडल पिता— रामपुकार मंडल	—	सदस्य
(8) श्री ललन मंडल पिता— मन्नू मंडल	—	सदस्य
(9) श्री किशोर मंडल पिता— स्व० लिलो मंडल	—	सदस्य
(10) श्री सरयुग मंडल पिता— स्व० हरचु मंडल	—	सदस्य
(11) श्री गीत प्रसाद मंडल पिता— स्व० सिंधु मंडल	—	सदस्य

सभी ग्राम—ओरियप, था०—अन्तिचक, भाया—कहलगाँव, जिला—भागलपुर।

उपरोक्त अस्थायी न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 01 वर्ष का होगा। समिति सदस्यों का चरित्र—सत्यापन प्राप्त होने के उपरांत समिति के स्थायीकरण / अवधि—विस्तार पर विचार किया जायेगा।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि “श्री आदिशक्ति शुंगल महामाया देवी ओरियप मंदिर, ग्राम— ओरियप, थाना— अन्तिचक, भाय— कहलगाँव, जिला— भागलपुर” के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:—न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलान/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि—सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

24 मार्च 2021

सं० 3513—लखीसराय जिलान्तर्गत श्री राम जानकी मन्दिर, पीरी बाजार, ग्राम+पो०+थाना—पीरी बाजार, जिला—लखीसराय बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०—4030 है।

उक्त न्यास के संचालन हेतु पर्षदीय आदेश पत्रांक—380, दिनांक 06.06.2012 द्वारा पाँच व्यक्तियों को मिलकर कार्य करने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश में वर्णित श्री रामावतार दास की मृत्यु हो चुकी है, जबकि कुशेश्वर सरण और श्री संतोष दास गाँव छोड़कर दुसरे जिले में कहीं रहते हैं। पर्षद को दिनांक 29.11.2018 को एक ग्यारह सदस्यीय न्यास समिति बनाये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसका चरित्र सत्यापन थाना के माध्यम से कराया गया, जो पर्षद को ज्ञापांक—486, दिनांक 16.09.2020 के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेख है, कि प्रस्तावित नौ व्यक्तियों के नाम व पता सही है, एवं इनके विरुद्ध थाना अभिलेख में कोई कान्ड दर्जन नहीं है। परन्तु दो सदस्य श्री अरुण कुमार सिंह और पंकज कुमार सिंह के विरुद्ध पीरी बाजार थाना कान्ड संख्या—4/2019 एवं 148/2019 दर्ज है। न्यास सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु एक सुदृढ़ न्यास समिति का होना जरूरी है।

उपरोक्त परिस्थिति में प्रस्तावित सूची तथा सत्यापन प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त उक्त न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं इस न्यास का सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा—32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन हेतु एक अस्थायी न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा—32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०—43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए “श्री राम जानकी मन्दिर, पीरी बाजार, ग्राम+पो०+थाना—पीरी बाजार, जिला—लखीसराय” के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा—32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री राम जानकी मन्दिर, पीरी बाजार, ग्राम+पो०+थाना—पीरी बाजार, जिला—लखीसराय” होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री राम जानकी मन्दिर, पीरी बाजार,

- ग्राम+पो0+थाना-पीरी बाजार, न्यास समिति जिला-लखीसराय** होगी, जिसमें न्यास की समग्रचल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।
 3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर (यदि पूर्व से न्यास के नाम से खाता संचालित हो, तो उसमें) जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा। न्यास के खाता का संचालन सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
 4. मठ/मंदिर परिसर में जगह-जगह भेंट पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
 5. दाताओं से प्राप्त होनेवाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्जकर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
 6. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
 7. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
 8. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
 9. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।
 10. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।
 11. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
 12. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
 13. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
 14. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
 15. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

(1) अंचलाधिकारी, सूर्यगढ़ा, जिला-लखीसराय	—	अध्यक्ष।
(2) श्री सुभाषचन्द्र सिंह	—	सचिव।
(3) श्री श्याम किशोर सिंह	—	कोषाध्यक्ष।
(4) श्री संजीव कुमार	—	सदस्य।
(5) श्री विनय कुमार सिंह	—	सदस्य।
(6) श्री नीरज कुमार	—	सदस्य।
(7) श्री सुनील कुमार सिंह	—	सदस्य।
(8) श्री किशोरी सिंह	—	सदस्य।
(9) श्री मकसु यादव	—	सदस्य।

सभी-ग्राम+पो0+थाना-पीरी बाजार, जिला-लखीसराय।

उक्त अस्थायी न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष का होगा। न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा के उपरान्त समिति के स्थायीकरण/अवधि विस्तार पर बाद में विचार किया जायेगा। प्रस्तावित नाम श्री अरुण कुमार सिंह और पंकज कुमार सिंह के संदर्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि “श्री राम जानकी मन्दिर, पीरी बाजार, ग्राम-पो0+थाना-पीरी बाजार, न्यास समिति जिला-लखीसराय” के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:-न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमिका हस्तान्तरण/बदलाने/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मतकार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

26 मार्च 2021

सं0 3565—बांका जिलान्तर्गत श्री कृष्ण काली भगवती स्थान, ग्राम-हरिवंशपुर, तेलडीहा, पो0-छत्रहार, थाना-शम्भूगंज, जिला-बांका पर्वद में सार्वजनिक न्यास के रूप में निबंधित है, जिसका निबंधन सं0-4516 है।

उक्त न्यास के संबंध में संचिका पर दिनांक-16.12.2019 को सभी पक्षों की सुनवाई की गयी थी तथा अंचलाधिकारी की रिपोर्ट आदि पर विचार करते हुए यह पाया गया कि उक्त मन्दिर लगभग 400 वर्ष पुराना है। गाँव तथा दूर-दूर के लोग की आस्था का केन्द्र है। पूर्व में योगेशचन्द्र एवं अनिरुद्ध चन्द्र दास द्वारा निजी होने का दावा किया गया था और पर्याप्त अवसर के बाद भी वे निजी मन्दिर होने के संबंध में दस्तावेज दाखिल नहीं कर सके। उन्होंने यह तथ्य पर्वद में स्वीकार किया कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है।

तदोपरान्त उनकी भी सहमति एवं सभी तथ्यों पर विचार करते हुए मन्दिर को सार्वजनिक घोषित करते हुए निबंधन किये जाने का आदेश दिया गया। अनिरुद्ध प्रसाद द्वारा यह कथन किया गया कि न्यास समिति में उनके तरफ से भी 03 व्यक्ति विजय कुमार, श्यामा चरण और अवनित कौशल को सदस्य के रूप में रखा जाए। ग्रामीणों द्वारा भी एक बैठक कर 11 नामों का प्रस्ताव दिनांक-31.01.2020 को दिया गया, जिसमें 03 प्रशासनिक पदाधिकारी के भी नाम हैं। अंचलाधिकारी, शम्भूगंज ने अपनी रिपोर्ट दिनांक-21.07.2016 (पर्वद में प्राप्त) द्वारा 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव दिया है, उक्त दोनों सूची में कुछ नाम सामान्य है तथा कुछ प्रशासनिक अधिकारी के नाम है। दोनों सूची को संबंधित थाना भेजकर उनका चरित्र सत्यापन प्राप्त की गयी। जो दिनांक-15.02.2020 को प्राप्त हुआ। दिनांक-05.03.2021 को न्यास समिति बनाये जाने के संबंध में पर्वद के सामने शंकर कुमार दास, महेशचन्द्र दास, कन्हाई चन्द दास, शम्भु दास एवं श्यामचरण दास उपस्थित हुए। चूंकि अधिनियम के अनुसार 11 से अधिक व्यक्तियों की न्यास समिति का गठन नहीं किया जा सकता है साथ ही पर्वद की परम्परा यह रही है, कि एक परिवार से एक ही सदस्य को न्यास समिति में रखा जा सकता है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में उपस्थित सदस्यों की सहमति से 11 व्यक्तियों की न्यास समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त परिस्थिति में उक्त न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं इस न्यास का सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए “श्री कृष्ण काली भगवती स्थान, ग्राम-हरिवंशपुर, तेलडीहा, पो0-छत्रहार, थाना-शम्भूगंज, जिला-बांका” के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री कृष्ण काली भगवती स्थान, ग्राम-हरिवंशपुर, तेलडीहा, पो0-छत्रहार, थाना-शम्भूगंज, जिला-बांका” होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री कृष्ण काली भगवती स्थान, ग्राम-हरिवंशपुर, तेलडीहा, पो0-छत्रहार, थाना-शम्भूगंज, जिला-बांका” होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् संचालन सुनिश्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर (यदि पूर्व से न्यास के नाम से खाता संचालित हो, तो उसमें) जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा। न्यास के खाता का संचालन कोषाध्यक्ष तथा उनके साथ सचिव या अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
4. मठ/मंदिर परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
5. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

6. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
7. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
8. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
9. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।
11. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
12. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
13. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
14. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
15. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिवित्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

- | | |
|---|--------------|
| (1) अनुमण्डल पदाधिकारी, बांका | — अध्यक्ष |
| (2) श्यामाचरण दास, पिता-स्व० भोलानाथ दास | — उपाध्यक्ष |
| (3) अनिरुद्ध चन्द्र दास, पिता- स्व० नारायण चन्द्र दास | — सचिव |
| (4) महेशचन्द्र दास पिता- स्व० शिवनारायण दास | — कोषाध्यक्ष |
| (5) शम्भुनाथ दास, पिता- स्व० नवीन चन्द्र दास | — सदस्य |
| (6) विजय कुमार दास, पिता- स्व० प्रभाष चन्द्र दास | — सदस्य |
| (7) अभिनीत कौशल, पिता- स्व० कृष्ण मोहन दास | — सदस्य |
| (8) सनत कुमार पिता- स्व० देवेश चन्द्र दास | — सदस्य |
| (9) महेश्वर मंडल, पिता-स्व० भोला मंडल | — सदस्य |
| (10) सिकन्दर तांती, पिता- स्व० राजपति तांती | — सदस्य |
| (11) कन्हाई चन्द्र दास पिता- स्व० प्रभाष चन्द्र दास | — सदस्य |

सभी-ग्राम-हरिवंशपुर, तेलडीहा, पो०-छत्रहार, थाना-शम्भूगंज, जिला-बांका।

उक्त न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले पाँच वर्षों का होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि समिति के अध्यक्ष, अनुमण्डल पदाधिकारी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, यदि वह किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो बैठक आदि की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा संचालित कर कार्रवाई की जायेगी तथा मन्दिर की आय-व्यय आदि का संचालन राष्ट्रीयकृत बैंक में मन्दिर के नाम खाता खोलकर कोषाध्यक्ष तथा उनके साथ सचिव या अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी। उक्त धार्मिक स्थल एक हिन्दु धार्मिक स्थल है और हिन्दु धार्मिक स्थल में कहीं बलि आदि की परम्परा नहीं है। और पूर्व में भी अंचलाधिकारी द्वारा बलीप्रथा पर रोक लगाया गया था।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि "श्री कृष्ण काली भगवती स्थान, ग्राम-हरिवंशपुर, तेलडीहा, पो०-छत्रहार, थाना-शम्भूगंज, जिला-बांका" के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:-न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/ बदलाने/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

15 मार्च 2021

सं० 3452—लखीसराय जिलान्तर्गत श्री शिव मंदिर, ग्राम-बेला, पोस्ट-मतासी, थाना-अंचल-हलसी, जिला-लखीसराय बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, पटना के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०-4336 है।

उक्त न्यास के संचालन, संपत्तियों की सुरक्षा एवं विकास हेतु एक न्यास समिति के गठन के लिए पर्षदीय पत्रांक-324, दिनांक 01/06/2020 द्वारा अंचलाधिकारी, हलसी से 05 स्वच्छ छवि के नामों का प्रस्ताव माँगा गया था। पुनः पर्षद द्वारा अंचलाधिकारी को दिनांक 26/08/2020 को स्मारित किया गया। ग्रामीणों द्वारा दिनांक 17/03/2020 को संपन्न

बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न करते हुए पर्वदीय पत्र दिनांक 05/11/2020 एवं दिनांक 19/01/2021 द्वारा अंचलाधिकारी को स्मारित किया गया, परंतु वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है। पर्वद की सुनवायी दिनांक 03/03/2021 में प्रार्थी द्वारा भी आम सभा की बैठक दिनांक 17/03/2020 के आलोक में न्यास समिति का गठन किये जाने का अनुरोध किया गया।

उपरोक्त परिस्थिति में उक्त न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन हेतु एक अस्थायी न्यास समिति का गठन एक वर्ष के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-32 में धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए "श्री शिव मंदिर, ग्राम- बेला, पोस्ट-मतासी, थाना+अंचल-हलसी, जिला-लखीसराय" के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "श्री शिव मंदिर न्यास योजना, ग्राम- बेला, पोस्ट- मतासी, थाना+अंचल- हलसी, जिला- लखीसराय" होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम "श्री शिव मंदिर न्यास समिति, ग्राम- बेला, पोस्ट- मतासी, थाना+अंचल- हलसी, जिला- लखीसराय" होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।
2. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।
3. न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
4. मंदिर / मठ परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
5. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
6. मंदिर / मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मंदिर / मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
7. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी / महंत की अर्हता का निर्धारण की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
8. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
9. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्वद को सम्यक् प्रेषण करेगी।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।
11. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
12. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
13. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
14. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मंदिर / मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्वद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
15. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्विरों की पूर्ति का अधिकार पर्वद में निहित होगा।
16. मंदिर / मठ के अधीनस्थ भूमि की बंदोवस्ती का अधिकार न्यास समिति को होगा, जिसका आय-व्यय विवरण, पर्वद के समक्ष प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की अस्थायी रूप से एक वर्ष लिए न्यास समिति गठित की जाती है:-

- | | | |
|---|---|-----------|
| (1) प्रखंड विकास पदाधिकारी, हलसी, लखीसराय | — | अध्यक्ष |
| (2) श्री गिरजा सिंह पिता- स्व० बंगाली राम | — | उपाध्यक्ष |

- | | | |
|--|---|------------|
| (3) श्री धीरज कुमार पिता— श्री सहदेव चौरसिया | — | सचिव |
| (4) श्री संत कुमार पिता—श्री कमलेश्वर राम | — | कोषाध्यक्ष |
| (5) श्री रोहित कुमार | — | सदस्य |
| सभी का पता— ग्राम— बेला, पो0— मतासी, था0— हलसी, जिला— लखीसराय। | | |
| (6) थानाध्यक्ष, हलसी, लखीसराय | — | सदस्य |

उक्त अस्थायी न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 01 वर्ष का होगा। समिति के सदस्यों का चरित्र—सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने पर समिति के स्थायीकरण/अवधि—विस्तार पर बाद में विचार किया जायेगा।

उक्त आदेश के आलोक में “श्री शिव मंदिर, ग्राम—बेला, पोस्ट—मतासी, थाना+अंचल—हलसी, जिला—लखीसराय” के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:—न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलाने/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि—सम्मत कार्यवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

26 मार्च 2021

सं0 3567—लखीसराय जिलान्तर्गत श्री मदन मोहन ठाकुरबाड़ी, ग्राम—प्रतापपुर, पो0—डुमरी, प्रखण्ड—बड़हिया, जिला—लखीसराय पर्वद में सार्वजनिक न्यास के रूप में निबंधित है, जिसका निबंधन सं0—884 है।

पूर्व में पर्वदीय अधिसूचना ज्ञापक—981, दिनांक 25.09.2007 द्वारा 11 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष अनुमंडलाधिकारी, लखीसराय तथा सचिव श्री अरुण कुमार सिंह थे। उक्त ठाकुरबाड़ी के पास लगभग 60 बीघा भूमि है, परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि पूर्व न्यास समिति द्वारा मंदिर की भूमि से होने वाली आय—व्यय विवरणी, बजट एवं पर्वदीय शुल्क कभी भी भुगतान नहीं किया गया। पर्वद द्वारा बार—बार स्मारित करने के बाद वर्ष 2014 में अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ 2011—12, 2012—13 एवं 2013—14 में ठाकुरबाड़ी की भूमि से बंदोबस्ती की राशि क्रमशः रु0 1,53,000/—, रु0 1,53,500/— एवं रु0 1,53,600/— दिखलाते हुए पर्वदीय शुल्क के रूप में दिनांक 12—08—2014, दिनांक 04—09—2014 एवं 13—07—2016 को क्रमशः रु0 10,000/—, रु0 5,000/— एवं रु0 10,000/— अर्थात् कुल रु0 25,000/— जमा किया गया है। पर्वद द्वारा समिति के सचिव को बार—बार स्मारित करने के वावजूद भी कोई उतर नहीं दिया गया तथा न ही आय—व्यय विवरणी, बजट एवं पर्वदीय शुल्क अद्यतन जमा किया गया है। पर्वद द्वारा नई न्यास समिति के गठन किये जाने हेतु अंचलाधिकारी से 11 स्वच्छ व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव मांगा गया था तथा अंचलाधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 13—12—2017 द्वारा 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव पर्वद में उपलब्ध कराया है। अंचलाधिकारी से प्राप्त उक्त नामों पर आपत्ति आई कि क्रम सं0—2 एवं 7 एक ही परिवार के सदस्य हैं। अतः उनमें से एक व्यक्ति को रखते हुए पुनः प्रस्ताव भेजने का निदेश अंचलाधिकारी को दिया गया। पुनः अंचलाधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 13—03—2018 द्वारा 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव पर्वद में उपलब्ध कराया है तथा इन नामों का सत्यापन थाना के स्तर से किया गया तथा थाना प्रभारी ने अपने पत्र दिनांक 09—02—2021 द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन पर्वद को उपलब्ध कराया है। इसी बीच ग्रामीणों द्वारा दिनांक 16—07—2019 को सम्पन्न आम सभा की बैठक की कार्यवाही पर्वद में उपलब्ध कराई गई, एवं 9 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कुछ ग्रामीणों द्वारा अंचलाधिकारी द्वारा भेजे गये नामों पर आपत्ति व्यक्त की गयी है। अतः उपर्युक्त दोनों सुझावों (सूची) के आलोक में समिति गठन किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त परिस्थिति में उक्त न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं इस न्यास का सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा— 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन हेतु एक अस्थायी न्यास समिति का गठन एक वर्ष के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा— 32 में धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दूधार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0— 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए ‘श्री मदन मोहन ठाकुरबाड़ी, ग्राम—प्रतापपुर, पो0—डुमरी, प्रखण्ड—बड़हिया, जिला—लखीसराय’ के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा— 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री मदन मोहन ठाकुरबाड़ी, ग्राम—प्रतापपुर, पो0—डुमरी, प्रखण्ड—बड़हिया, जिला—लखीसराय” होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री मदन मोहन ठाकुरबाड़ी, ग्राम—प्रतापपुर, पो0—डुमरी, प्रखण्ड—बड़हिया, जिला—लखीसराय” होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ—साथ पूजा—अर्चना, राग—भोग, अतिथि—सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर (यदि पूर्व से न्यास के नाम से खाता संचालित हो, तो उसमें) जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा। न्यास के खाता का संचालन सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
4. मठ/मंदिर परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
5. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
6. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
7. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
8. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
9. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।
11. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
12. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
13. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
14. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
15. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिवित्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

(1) अनुमंडलाधिकारी, लखीसराय	—	पदेन अध्यक्ष
(2) श्री कष्णनंदन सिंह	—	उपाध्यक्ष
(3) श्री राम नरेश सिंह	—	सचिव
(4) श्री राजीव कुमार	—	कोषाध्यक्ष
(5) श्री दिवाकर सिंह	—	सदस्य
(6) श्री गोरे रजक	—	सदस्य
(7) श्री राजेश्वरी प्रसाद सिंह	—	सदस्य
(8) श्री राम लाल सिंह	—	सदस्य
(9) श्री बच्चा सिंह	—	सदस्य
(10) श्री अनुज सिंह	—	सदस्य
(11) श्री मनोज सिंह	—	सदस्य

सभी-ग्राम-प्रतापपुर, पो0-डुमरी, प्रखण्ड-बड़हिया, जिला-लखीसराय

उक्त अस्थायी न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष का होगा। समिति के उन सदस्यों का जिनका अभी चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है, प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समिति के स्थायीकरण/अवधि विस्तार पर बाद में विचार किया जायेगा।

उपर्युक्त सभी सदस्यों को निदेश दिया जाता है कि एक साथ मिल-जुल कर धार्मिक आस्था से मंदिर के विकास का कार्य करें तथा भूमि की बंदोबस्ती अनुमंडलाधिकारी, उपाध्यक्ष एवं सचिव द्वारा बैठक कर कराई जाय तथा बंदोबस्ती की कार्रवाई कम से कम दो व्यक्तियों की उपस्थिति में ही सुनिश्चित की जाय।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि “श्री मदन मोहन ठाकुरबाड़ी, ग्राम—प्रतापपुर, पो0—डुमरी, प्रखण्ड—बड़हिया, जिला—लखीसराय” के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:—न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलान/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि—सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

2 जुलाई 2021

सं0 1425—श्री राम जानकी मन्दिर (नन्द लाल बाबा ठाकुरबाड़ी), हटिया रोड, निर्मली, जिला—सुपौल पर्वद में निबंधित धार्मिक न्यास है, जिसकी संख्या—3891, दिनांक—16.12.2008 को किया गया है। उक्त मन्दिर में पूर्व में लगभग 11 ए0 भूमि थी, जिसमें पूर्व के महंतों द्वारा कॉलेज वगैरह को दान कर दी गयी। वर्तमान में मन्दिर के पास 08 कट्ठा जमीन है, जिसमें लगभग 14 दुकानें हैं। उक्त मन्दिर की देख-भाल पूर्व में महंत नंद लाल दास द्वारा की जाती थी तथा पर्वद के आदेश ज्ञापांक—5883, दिनांक—04.01.2002 द्वारा एक न्यास समिति का भी गठन किया गया था, परन्तु न्यास समिति का कार्य भी संतोषप्रद नहीं पाया गया। समिति की समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण तथा कुछ अन्य तकनीकी कारणों से पर्वद के आदेश दिनांक—05.08.2008 द्वारा उक्त समिति को भंग करते हुए महंत रामभूषण दास को उक्त मन्दिर का न्यासधारी नियुक्त किया गया था तथा पर्वद के आदेश में स्पष्ट उल्लेख था कि न्यासधारी बैंक में मन्दिर के नाम से खाता खोलेगा तथा किरायेदार से प्राप्त किराया बैंक में जमा की जायेगी और किराया बाजार दर पर होगा, परन्तु विगत 12 वर्षों से न्यासधारी रामभूषण दास द्वारा न तो कभी पर्वद में उपस्थित हुए, न बजट प्रस्तुत किया, न आय—व्यय विवरणी दाखिल किया और न ही कभी पर्वद शुल्क जमा किया। मन्दिर की स्थिति भी दिन—प्रति—दिन दयनीय होती गयी। ग्रामीणों द्वारा मन्दिर के जीर्णोद्धार तथा देख-रेख हेतु एक आमसभा की बैठक दिनांक—17.11.2019 को श्री रामभूषण दास की अध्यक्षता में की गयी, जिसमें मन्दिर के पुनः निर्माण हेतु 12 सदस्यों की एक न्यास समिति बनाये जाने का निर्णय लिया गया तथा उक्त बैठक में डॉ0 रामचन्द्र प्रसाद द्वारा जीर्णोद्धार हेतु 51 हजार रुपये दान दिये जाने की घोषणा की और इस बिन्दु पर विचार किया गया कि कोई भी दुकानदार जो किराया बहुत वर्षों से नहीं दे रहे हैं, निर्धारित की गयी कि 15 सौ रुपये प्रति दुकानदार किराया की राशि ली जाए तथा अपने प्रार्थना—पत्र के साथ बैठक की प्रति तथा वर्तमान में मन्दिर की जीर्ण—शिर्ण अवस्था की फोटोग्राफ दाखिल किया। दिनांक—05.03.2020 को महंत रामभूषण दास द्वारा भी एक प्रार्थना—पत्र दिया गया कि पूर्व में बैठक के अनुसार चन्दा आदि का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और 2—4 माह में मन्दिर का निर्माण प्रारम्भ हो जायेगा। आगे उल्लेख किया कि वर्तमान में मन्दिर के आस—पास के दुकानों को किराया 3 से 5 हजार रुपये है, परन्तु मन्दिर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों द्वारा बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में 1500/— रुपया भी किराया का भुगतान नहीं किया जा रहा है। किराया नहीं देने वाले 07 दुकानदारों की सूची भी प्रार्थना—पत्र के साथ तथा बैठक दिनांक—01.03.2020 की प्रति भी दाखिल किया।

उपरोक्त बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में प्रस्तावित नामों की सूची अनुमण्डल पदाधिकारी को उनके मंतव्य के लिए भेजा गया गया, इस निर्देश के साथ कि यदि प्रस्तावित नामों में कोई संशोधन या कोई नया नाम जो धार्मिक प्रवृत्ति के अच्छे व्यक्ति हैं, प्रस्तावित कर सकते हैं।

अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक—1484—2, दिनांक—28.12.2020 द्वारा 11 नामों का प्रस्ताव पर्वद को प्राप्त कराया, जिनमें 10 नाम वहीं हैं जो आमसभा दिनांक—01.03.2020 एवं 17.11.2019 में प्रस्तावित किया था। उक्त नामों का चरित्र सत्यापन रिपोर्ट भी प्राप्त है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में मैं अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार जो न्यास की उपविधि 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी मन्दिर (नन्द लाल बाबा ठाकुरबाड़ी), हटिया रोड, निर्मली, जिला—सुपौल के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा सम्यक विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण करता हूँ तथा इसे मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री राम जानकी मन्दिर (नन्द लाल बाबा ठाकुरबाड़ी), हटिया रोड, निर्मली, जिला—सुपौल न्यास योजना” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री राम जानकी मन्दिर (नन्द लाल बाबा ठाकुरबाड़ी), हटिया रोड, निर्मली, जिला—सुपौल न्यास समिति” होगी जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल सम्पत्ति के संधारण, संरक्षण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा—पाठ एवं साधु—सेवा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय—व्यय में आर्थिक शुचितता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्य वृत्त एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा, अगर वे ऐसा करते हैं तो वह शुन्य एवं अवैध होगा।
10. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिकवियर्स की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

उपर्युक्त योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए गठित की जाती है :-

- | | |
|--|----------------------|
| (1) श्री चन्द्र मोहन कामत पे0-स्व0 बहादुर कामत | — अध्यक्ष |
| (2) श्री राम नारायण कामत, पे0-स्व0 गोसाई कामत | — सचिव |
| (3) श्री गुरु शरण कामत पे0-स्व0 सुखाय कामत | — कोषाध्यक्ष |
| (4) श्री बाबा महंत राम भूषण दास | — न्यासधारी-सह-सदस्य |
| (5) श्री महेन्द्र कामत पे0-स्व0 सरयुग कामत | — सदस्य |
| (6) श्री कन्हैया कामत पे0-स्व0 पृथ्वी लाल कामत | — सदस्य |
| (7) श्री योगी लाल राय पे0-स्व0 अनिरुद्ध राय | — सदस्य |
| (8) श्री कुसुम लाल कामत पे0-स्व0 अमृत कामत | — सदस्य |
| (9) श्री योगेन्द्र मंडल पे0-स्व0 राम टहल मंडल | — सदस्य |
| (10) श्री राजेन्द्र कामत पे0-स्व0 महावीर कामत | — सदस्य |
| (11) श्रीमती सदनी देवी पति- श्री सोने लाल दास | — सदस्य |

उपरोक्त सभी ग्राम+पो0+थाना-निर्मली, जिला-सुपौल।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि श्री राम जानकी मन्दिर (नन्द लाल बाबा ठाकुरबाड़ी), हटिया रोड, निर्मली, जिला-सुपौल के नाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:-न्यास समिति के पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

5 जून 2021

सं0 431—श्री व्यंकटेश्वरनाथ ठाकुरबाड़ी (बख्तियारपुर बड़ी ठाकुरबाड़ी), बाढ़, जिला- पटना पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0- 234 है।

इस न्यास के न्यासधारी श्री दिनकर दास त्यागीजी हैं। पर्षदीय आदेश दि0- 02/05/2007 द्वारा श्री दिनकर दास त्यागी को न्यासधारी की मान्यता प्रदान की गयी थी। वर्ष 2013-17 में उपरोक्त न्यास की भूमि पर श्री राधेकृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया तथा एक कम्युनिटी हॉल का भी निर्माण बिना पर्षद की अनुमति के स्वयंभू समिति द्वारा किया गया एवं इसका निबंधन अभिलेख ट्रस्ट डीड निबंधित करा लिया गया। उपरोक्त मंदिर का निर्माण सार्वजनिक चन्दा से किया गया। इसमें न्यासधारी श्री दिनकर दास त्यागी जी की सहमति एवं सहयोग प्राप्त थी। मंदिर की व्यवस्था हेतु स्थानीय लोगों द्वारा छः सदस्यों का चुनाव किया गया। इसमें से सदस्य श्री शैलेन्द्र का स्वर्गवास हो चुका है। शेष 05 सदस्य रह गये थे। न्यासधारी एवं स्वयंभू न्यास समिति के सदस्यों द्वारा पर्षद में आवेदन देकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके लिए दोनों पक्षों को दि0- 06/04/2021 को सुना गया। दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत न्यास समिति गठन हेतु अच्छे सामाजिक व्यक्तियों का नाम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। उपरोक्त आदेश के आलोक में दि0- 15/04/2021 को पुनः सुनवायी गयी तथा दोनों पक्षों की ओर से समिति गठन हेतु सुची संलग्न की गयी। श्री दिनकर त्यागी के अधिवक्ता श्री दिग्विजय सिंह द्वारा निम्न चार नाम क्रमशः 1. महंत मणिराम दास 2. श्री दिनकर दास त्यागी 3. श्री कमल नयन दास एवं 4. श्री अन्तर्यामी शरण के नाम का आग्रह किया गया। द्वितीय पक्ष की ओर से 08 सदस्यों की सूची प्रस्तुत की गयी।

उपरोक्त श्री बैंकटेश भगवान मंदिर उर्फ बड़ी ठाकुरबाड़ी, जिसकी सभी भूमि देवोंतरदार है, इसके महंत / पुजारी / न्यास समिति को उक्त भूमि के प्रबंधन, व्यवस्था एवं पूजा-पाठ का ही अधिकार है तथा दोनों पक्षों द्वारा दी गयी सूची तथा विकासात्मक कार्य एवं प्रबंधन आदि कार्यों पर विचारोपरांत दस सदस्यों की न्यास समिति का अस्थायी गठन तथा इसके कार्याव्यय हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए “श्री व्यंकटेश्वरनाथ ठाकुरबाड़ी (बख्तियारपुर बड़ी ठाकुरबाड़ी), बाढ़, जिला- पटना” के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री व्यंकटेश्वरनाथ ठाकुरबाड़ी (बख्तियारपुर बड़ी ठाकुरबाड़ी) न्यास योजना, बाढ़, जिला- पटना” होगा और इसे मूर्त रूप देने के लिए पर्षद द्वारा गठित न्यास समिति का नाम “श्री व्यंकटेश्वरनाथ ठाकुरबाड़ी (बख्तियारपुर बड़ी ठाकुरबाड़ी) न्यास समिति, बाढ़, जिला- पटना” होगी, जिसमें न्यास की समस्त चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् संचालन सुनिश्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।
4. श्री दिनकर दास त्यागी को भगवान बैंकटेश मंदिर में पूजा-पाठ का अधिकार होगा। चढ़ावे की राशि जो आयेगी, वह भी दिनकर दास को प्राप्त होगी। मंदिर में दान-पात्र रखा जायेगा। मंदिर में स्थित दुकानों, खेती योग्य भूमि एवं राधाकृष्ण से संबंधित आय, मंदिर के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा एवं निकासी की जायेगी। इसका संचालन अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त स्तर से की जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर साधु-संतों का निवास और भोजन, दोनों मंदिरों का राग-भोग का दायित्व न्यास समिति पर रहेगा।
5. न्यास समिति को यह भी निर्देश दिया जाता है कि मंदिर की जो भूमि अतिक्रमण कर ली गयी है, उस संबंध में सक्षम पदाधिकारी के यहां कार्रवाई करेंगे तथा मंदिर के नाम से राजस्व अभिलेखों में दाखिल-खारिज की कार्रवाई करेंगे।
6. मठ परिसर में जगह-जगह भेंट-पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
7. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
8. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
9. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
10. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
11. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्षद को सम्यक् प्रेषण करेगी।
12. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।
13. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
14. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
15. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिकवियर्स की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

- | | |
|---|--------------|
| (1) अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़, जिला— पटना— | अध्यक्ष |
| (2) श्री दिनकर दास त्यागी चेला मं० सरयुग दास— | उपाध्यक्ष |
| (3) श्री अच्युतानंद याजी पिता—स्व० पं० शीलभद्र याजी— | सचिव |
| (4) श्री मणिराम दास— | संयुक्त सचिव |
| (5) श्री श्याम किशोर प्रसाद पिता— स्व० मथुरा प्रसाद— | कोषाध्यक्ष |
| (6) श्री नरेश राम मिस्त्री पिता— वसंत राय— | सदस्य |
| (7) श्री राजकुमार पिता— नरेश प्रसाद— | सदस्य |
| (8) श्री गरुड़ दास— | सदस्य |
| (9) श्री दयानंद शर्मा पिता— स्व० राम झरोखा शर्मा— | सदस्य |
| (10) श्री दिनेश प्रसाद सिंह पिता— स्व० हरवंश नारायण सिंह— | सदस्य |

सभी का पता— श्री व्यंकटेश्वरनाथ ठाकुरबाड़ी (बख्तियारपुर बड़ी ठाकुरबाड़ी), बाढ़, जिला— पटना।

उक्त आदेश के आलोक में “श्री व्यंकटेश्वरनाथ ठाकुरबाड़ी (बख्तियारपुर बड़ी ठाकुरबाड़ी), बाढ़, जिला— पटना” के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:—न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्यों को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि काहस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

24 नवम्बर 2020

सं० 1940—पटना जिलान्तर्गत श्री रामजानकी ठाकुरवाड़ी, सैदपुर, भिखना पहाड़ी मोड़, पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—986 है।

इस न्यास की सूचारु प्रबंधन, उन्नयन तथा सम्यक विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना पत्रांक 1471, दिनांक—07.08.2015 द्वारा एक न्यास समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल पाँच वर्षों का था, जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया। न्यास समिति ने अपने पाँच वर्षों के कार्यकाल के दौरान आय-व्यय विवरण, पर्षद शुल्क नहीं दिया गया। 05 साल का हिसाब 5 साल के पश्चात् 2020 में दाखिल किया, जबकि नवीन न्यास समिति का गठन किया जाता है तथा जो समिति के उद्देश्यों को इंगित करता है। अधिसूचना में स्पष्ट उल्लेख था कि मंदिर से होने वाली आय को राष्ट्रीयकृत बैंक में मंदिर के नाम से सचिव और कोषाध्यक्ष के माध्यम से संचालन किया जायेगा, परन्तु बैंक में खाता व्यक्तिगत नाम से खोला गया और कोषाध्यक्ष को संचालन के लिए पक्ष नहीं बनाया गया। प्राइवेट स्कूल के लिए कमरों का निर्माण कर जगह दी गयी, जिस संबंध में पर्षद से कोई पूर्वानुमति नहीं प्राप्त की गयी तथा यह भी शिकायत प्राप्त हो रही है कि मंदिर में लगभग अवैध रूप से वसूली की जाती है, जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं रखा जाता है। यह भी आरोप आ रहा है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा निर्माण की सामग्री भी रखी जाती है, कुछ लोगों द्वारा किराया भुगतान किया जाता है और कुछ लोगों द्वारा नहीं किया जाता है।

उपरोक्त सभी परिस्थितियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि न्यास समिति का काम किसी भी तरह से संतोषप्रद नहीं है अतः नयी न्यास समिति का स्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए गठन किया जाता है।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं०—43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **पटना जिलान्तर्गत श्री रामजानकी ठाकुरवाड़ी, सैदपुर, भिखना पहाड़ी मोड़** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु निम्नांकित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा—32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “**पटना जिलान्तर्गत श्री रामजानकी ठाकुरवाड़ी, सैदपुर, भिखना पहाड़ी मोड़ न्यास योजना होगा**” तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “**पटना जिलान्तर्गत श्री रामजानकी ठाकुरवाड़ी, सैदपुर, भिखना पहाड़ी मोड़ न्यास समिति**” होगा। जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत्त एवं देय शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।

6. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय, रेहन तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्यवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाई की जायेगी। साथ ही न्यास समिति के पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें।
7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्यवाई करेगी।
10. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्यवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकूल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हें सदस्यता से मुक्त किया जा सकता है।
12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास अस्थायी समिति गठित की जाती है :-

(1) थानाध्यक्ष, कदमकुँआ	—	संरक्षक
(2) श्री इन्द्रजीत प्रसाद	—	अध्यक्ष
(3) श्री भरत सिंह मेहता	—	उपाध्यक्ष
(4) श्री राजेश कुमार चन्द्रवंशी	—	सचिव
(5) श्री रजनीश सिंह	—	कोषाध्यक्ष
(6) श्री राजन उपाध्याय	—	सदस्य
(7) श्री दूर्गा प्रसाद	—	सदस्य
(8) श्री विनोद यादव	—	सदस्य
(9) श्री संजीव कुमार सिंह	—	सदस्य

श्री रामजानकी ठाकुरवाड़ी, सैदपुर, भिखना पहाड़ी मोड़, जिला-पटना।

NOTE:-राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम पटना जिलान्तर्गत श्री रामजानकी ठाकुरवाड़ी, सैदपुर, भिखना पहाड़ी मोड़ पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संशोधन नहीं होगा।

उपरोक्त न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए किया जाता है।

भवदीय,
आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

आदेश

17 अप्रैल 2021

सं० 210—श्री गौरीशंकर बैकुंठनाथ मंदिर, बैकटपुर, खुसरूपुर, जिला- पटना, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 34 के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०- 515 है। इस न्यास के सुचारु प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक- 678, दिनांक- 11/07/2013 द्वारा डॉ० रणवीर नन्दन की अध्यक्षता में एक न्यास समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा किये गये विकासात्मक कार्यों के आलोक में पर्षदीय आदेश ज्ञापांक- 1561, दि०- 31/12/2018 द्वारा न्यास समिति के कार्यकाल को दो वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया गया।

न्यास समिति द्वारा इस कार्यकाल में किये गये विकासात्मक कार्य एवं पिछले वर्षों में दाखिल किये गये ऑडिट रिपोर्ट को संतोषजनक पाते हुये, पुनः तीन वर्ष लिए न्यास समिति के कार्यकाल को विस्तारित किया जाता है। साथ ही निर्देश दिया जाता है कि मंदिर की आय-व्यय विवरणी प्रतिवर्ष अप्रैल माह में अवश्य दाखिल हो जानी चाहिए।

न्यास समिति के दो सदस्य श्री अजय सिंह किसी दुसरे शहर में रहते हैं तथा श्री योगेन्द्र प्र० सिंह अपनी अस्वस्थता के कारण त्याग-पत्र दे दिये हैं। उन दोनों के स्थान पर न्यास समिति चाहे तो, प्रस्ताव पास कर, दो नये नाम समिति में जोड़ने हेतु भेज सकते हैं।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

अधिसूचनाएं

7 जून 2021

सं० 541—श्री गोपेश्वरनाथ शिव मंदिर, गरहुआ टोला, महेन्द्र, जिला— पटना बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, पटना की धारा— 34 के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०— 4213 है।

इस मंदिर की व्यवस्था, दान—कर्ता महताबो देवी द्वारा गठित समिति द्वारा किया जा रहा है। इसके कुछ सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है। पूर्व में उन्होंने पांच पंचों के नाम से विलेख तैयार किया था जिसके सभी सदस्यों की मृत्यु हो गयी है। मो० महताबो देवी द्वारा 09 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया था, जिसके दो सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है। दो सदस्य मंदिर कार्यों में रुचि नहीं रखते हैं। वर्तमान में पांच सदस्यों द्वारा मंदिर की व्यवस्था किया जा रहा है। सार्वजनिक चंदे से मंदिर की सुरक्षा हेतु चहारदीवारी का निर्माण कराया गया है। पूर्व में भी मंदिर के विकास हेतु न्यास गठित किये जाने की सलाह पर्षद द्वारा दी गयी थी। परंतु दोनों पक्षों द्वारा सहमति नहीं होने के कारण न्यास समिति का गठन नहीं किया जा सका। उनका कथन है कि शीघ्र न्यास समिति का गठन किया जाय।

संचिका पर दि०— 06/01/2021 को पन्द्रह व्यक्तियों का हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना—पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें ग्यारह व्यक्तियों के नाम का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव में मंदिर की देखभाल, चहारदीवार निर्माण, रंग—रोगन आदि का कार्य करने में सक्रिय कुछ सदस्य के नामों पर विचार नहीं किया गया। दि०— 06/01/2021 की बैठक में जो प्रस्ताव पारित किया गया है वह भी उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उक्त बैठक में पन्द्रह व्यक्तियों के हस्ताक्षर में से ग्यारह व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव है। उक्त बैठक को आम सभा, ग्रामीणों द्वारा की गयी नहीं माना जा सकता है। श्री अशोक कुमार द्वारा कार्यरत सदस्यों में तथा दि०— 06/01/2021 को प्रस्तावित नामों पर विचारोपरांत न्यास समिति का गठन करने का निर्णय लिया जाता है तथा इसकी व्यवस्था हेतु निम्न प्रकार से योजना का निरूपण भी किया जाता है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा— 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो **बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०— 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है,** का प्रयोग करते हुए **“श्री गोपेश्वरनाथ शिव मंदिर, गरहुआ टोला, महेन्द्र, जिला— पटना”** के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा— 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **“श्री गोपेश्वरनाथ शिव मंदिर न्यास योजना, गरहुआ टोला, महेन्द्र, जिला— पटना”** होगा और इसे मूर्त रूप देने के लिए पर्षद द्वारा गठित न्यास समिति का नाम **“श्री गोपेश्वरनाथ शिव मंदिर न्यास समिति, गरहुआ टोला, महेन्द्र, जिला— पटना”** होगी, जिसमें न्यास की समस्त चल—अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ—साथ पूजा—अर्चना, राग—भोग, अतिथि—सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् संचालन सुनिश्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर उसमें जमा किया जायेगा। समिति मंदिर के नाम से खाता खोलेगी तथा उक्त खाते का संचालन सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। यदि खाता पूर्व से संचालित है, तो उक्त खाते में नाम—संशोधन कर उसका संचालन होगा।
4. मठ परिसर में जगह—जगह भेंट—पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
5. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
6. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
7. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
8. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ / मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
9. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय—व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्षद को सम्यक् प्रेषण करेगी।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।
11. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
12. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
13. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
14. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
15. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिकवियर्स की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

- | | |
|--|------------|
| (1) श्री देवनाथ सिंह पिता- स्व० लेखराज प्रसाद- | अध्यक्ष |
| (2) श्री संजय सिन्हा पिता- स्व० हरि लाल मेहता- | उपाध्यक्ष |
| (3) श्री अशोक कुमार सिन्हा- स्व० नारायण महतो- | सचिव |
| (4) श्री रघुवीर प्रसाद पिता- स्व० महावीर महतो | कोषाध्यक्ष |
| (5) श्री शिवनाथ मेहता पिता- नथुनी महतो, | सदस्य |
| (6) श्री विजय कुमार पिता- स्व० अनुग्रह महतो | सदस्य |
| (7) श्री योगेन्द्र प्रसाद पिता- स्व० रामभजन महतो | सदस्य |
| (8) श्री राकेश कुमार सिन्हा पिता- श्री रणधीर कुमार सिन्हा- | सदस्य |
| (9) श्री कुमार इन्द्रजीत पिता- स्व० शंकर महतो- | सदस्य |

सभी का पता-श्री गोपेश्वरनाथ शिव मंदिर, गरहुआ टोला, महेन्द्र, जिला- पटना।

उक्त आदेश के आलोक में "श्री गोपेश्वरनाथ शिव मंदिर, गरहुआ टोला, महेन्द्र, जिला- पटना" के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:-न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलौन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

7 जून 2021

सं० 543—प्राचीन गौरीशंकर मंदिर एवं माँ दुर्गा स्थान तथा भगवती मंदिर, खुसरूपुर, गन्नीचक, स्टेशन रोड, जिला- पटना पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०-4493 है।

इस न्यास की सुचारु व्यवस्था एवं प्रबंधन हेतु न्यास समिति गठित किये जाने हेतु अंचलाधिकारी से 11 धार्मिक एवं अच्छे चरित्र के व्यक्तियों के नामों की मांग दि०-30/10/2019 को किया गया था तथा स्मार-पत्र दि०-05/04/20 द्वारा की गयी, के आलोक में कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। इसी बीच ग्रामीणों द्वारा बैठक कर 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव पर्षद को दि०-25/01/2020 को उपलब्ध कराया गया, जिस पर लगभग 50 ग्रामीणों के हस्ताक्षर भी हैं। अंचलाधिकारी का नाम प्राप्त नहीं होने पर ग्रामीणों से प्राप्त नामों का चरित्र-सत्यापन संबंधित थाना भेजा गया। थाना द्वारा अपना प्रतिवेदन दि०-29/09/20 को प्रेषित करते हुए उल्लेख किया कि 04 व्यक्ति क्रमशः कुणाल गौरव एवं उनके पिता- श्री सीताराम त्रिपाठी, विष्णु नारायण चौबे तथा उमेश कुमार सिंह के विरुद्ध आपराधिक कांड दर्ज है। इसके संबंध में उपरोक्त व्यक्ति पर्षद के समक्ष उपस्थित हैं और कथन किया की सीताराम त्रिपाठी एवं कुणाल कुमार दोनों पिता-पुत्र हैं और मंदिर में अवैध रूप से कब्जा करने वाले उमानाथ यादव, दीनानाथ यादव पुत्रगण अर्जुन यादव तथा भाई जग्गी यादव द्वारा सीताराम त्रिपाठी के साथ मारपीट की गयी थी, जिसके संबंध में प्रार्थी ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन थाना कांड सं०- 205/18 दर्ज कराया था, इसी से बचने के लिए उमानाथ यादव द्वारा काउण्टर केस खुसरूपुर थाना कांड सं०- 206/18 दर्ज कराया है। दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायी गयी, जिससे स्पष्ट होता है कि जो आरोप लगाया गया है कि वह नो इन्जुरी का केस है और दोनों पक्ष एक-दूसरे विरुद्ध मंदिर के विवाद को लेकर प्रथम सूचना दर्ज करायी गयी। सीताराम त्रिपाठी एवं कुणाल गौरव पिता-पुत्र हैं। अतः मामले की प्रकृति को देखते हुए सीताराम त्रिपाठी को भी न्यास समिति में रखा जाता है। श्री विष्णु नारायण चौबे के संबंध में कथन किया गया कि एस०डी०पी०ओ० द्वारा जांच में श्री चौबे के विरुद्ध अपराध नहीं पाया गया तथा एक अन्य व्यक्ति उमेश कुमार सिंह के विरुद्ध जो केस है, उसमें पक्षों के बीच सुलह हो गया है, परंतु चूंकि विष्णु नारायण चौबे पुलिस द्वारा अन्वेषण के पश्चात् कोर्ट का कोई आदेश नहीं है तथा उमेश कुमार सिंह के पक्ष में न्यायालय का कोई निर्णय नहीं है।

उपरोक्त परिस्थिति में शेष 06 व्यक्ति तथा अध्यक्ष के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी को नामित करते हुए न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए किया जाता है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए “प्राचीन गौरीशंकर मंदिर एवं माँ दुर्गा स्थान तथा भगवती मंदिर, खुसरूपुर, गन्नीचक, स्टेशन रोड, जिला- पटना” के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “प्राचीन गौरीशंकर मंदिर एवं माँ दुर्गा स्थान तथा भगवती मंदिर न्यास योजना, खुसरूपुर, गन्नीचक, स्टेशन रोड, जिला- पटना” होगा और इसे मूर्त रूप देने के लिए पर्षद द्वारा गठित न्यास समिति का नाम “प्राचीन गौरीशंकर मंदिर एवं माँ दुर्गा स्थान तथा भगवती मंदिर न्यास समिति, खुसरूपुर, गन्नीचक, स्टेशन रोड, जिला- पटना” होगी, जिसमें न्यास की समस्त चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् संचालन सुनिश्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।
4. न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
5. मठ परिसर में जगह-जगह भेंट-पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
10. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्षद को सम्यक् प्रेषण करेगी।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।
12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिवित्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से गठित की जाती है। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अवधि विस्तार के संबंध में निर्णय लिया जायेगा:-

- | | |
|---|------------|
| (1) अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी- | अध्यक्ष |
| (2) श्री उमेश सिंह यादव पिता-श्री आनन्दी सिंह यादव- | उपाध्यक्ष |
| (3) सीताराम त्रिपाठी पिता-स्व० बांके बिहारी त्रिपाठी- | सचिव |
| (4) श्री सूरज कुमार पिता-श्री विजय सिंह- | कोषाध्यक्ष |
| (5) श्रीमति सुनीता देवी पति-श्री सुरेन्द्र नट- | सदस्य |
| (6) श्री शिवशंकर सिंह पिता-श्री रणविजय सिंह- | सदस्य |
| (7) श्री सुनील कुमार पिता-श्री ओम प्रकाश सिन्हा- | सदस्य |

उक्त आदेश के आलोक में प्राचीन गौरीशंकर मंदिर एवं माँ दुर्गा स्थान तथा भगवती मंदिर, खुसरूपुर, गन्नीचक, स्टेशन रोड, जिला-पटना के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:—न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलाने/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

15 जून 2021

सं० 729—श्री रामजानकी मंदिर, मसौढ़ी, जिला— पटना पर्वद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०—949 है।

इस न्यास की सुव्यवस्था हेतु गठित न्यास समिति का कार्यकाल समाप्त होने जाने के उपरान्त नवीन न्यास समिति गठन हेतु अंचलाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी से दि०— 16/11/19 एवं दि०—16/01/20 द्वारा नाम उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी, द्वारा अपने पत्रांक— 204, दि०—24/02/20 द्वारा ग्यारह नामों का प्रस्ताव प्रेषित किया। कार्यरत न्यास समिति द्वारा विगत पांच वर्षों में मंदिर के विकास का कार्य किया गया है, उसका विवरण समिति ने अपने दि०—25/01/21 में उल्लेखित किया है। संचिका से यह भी स्पष्ट है कि समिति समय-समय पर प्रत्येक वर्ष आय-व्यय विवरणी, पर्वद शुल्क की राशि जमा करती रही है। न्यास समिति गठन करते समय मंदिर की आय 4 लाख 71 हजार रु० और वर्ष 2018—19 में 11 लाख 71 हजार रु० दिखायी गयी है तथा न्यास समिति के विगत पांच वर्षों में किये गये विकासात्मक कार्यों भगवान शंकर, माँ दुर्गा, राम जानकी एवं भगवान भास्कर मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। मंदिर के प्रांगण में संगमरमर व टाइल्स की व्यवस्था पूर्ण की गयी। मंदिर परिसर में शौचालय, पानी आदि की व्यवस्था नियमित रूप से की जाती है तथा मंदिर के पीछे पुजारी के निवास हेतु निर्माण, पानी, शौचालय की व्यवस्था समिति द्वारा की गयी है।

उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित सूची में से क्रम सं०— 9 के नाम में संशोधन करते हुए श्री मनोज गोस्वामी को डॉ० अवधेश शर्मा के स्थान पर रखते हुए न्यास समिति अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए गठित करने का निर्णय लिया जाता है। इनका चरित्र-सत्यापन प्राप्त होने पर विस्तार / स्थायी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा— 32 में धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार जो **बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०— 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है,** का प्रयोग करते हुए **“श्री रामजानकी मंदिर, मसौढ़ी, जिला— पटना”** के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा— 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **“श्री रामजानकी मंदिर न्यास योजना, मसौढ़ी, जिला— पटना”** होगा और इसे मूर्त रूप देने के लिए पर्वद द्वारा गठित न्यास समिति का नाम **“श्री रामजानकी मंदिर न्यास समिति, मसौढ़ी, जिला— पटना”** होगी, जिसमें न्यास की समस्त चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् संचालन सुनिश्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।
4. न्यास समिति को यह भी निर्देश दिया जाता है कि मंदिर की जो भूमि अतिक्रमण कर ली गयी है, उस संबंध में सक्षम पदाधिकारी के यहां कार्रवाई करेंगे तथा मंदिर के नाम से राजस्व अभिलेखों में दाखिल-खारिज की कार्रवाई करेंगे।
5. मठ परिसर में जगह-जगह भेंट-पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
10. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्वद को सम्यक् प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।
12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिकवियर्स की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

- | | |
|---|--------------|
| (1) अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी, जिला- पटना- | पदेन अध्यक्ष |
| (2) श्री यदुनंदन सिंह पिता- स्व० पन्नु लाल- | सचिव |
| (3) श्री मृत्युंजय कुमार पिता- स्व० धनराज सिंह- | कोषाध्यक्ष |
| (4) श्री शशि प्रसाद गुप्ता पिता- स्व० राम खेलावन प्रसाद गुप्ता- | सदस्य |
| (5) श्री सिद्धनाथ केशरी पिता- विशुब लाल केशरी- | सदस्य |
| (6) श्री चन्द्रकेत सिंह चंदेल पिता- स्व० कामता सिंह- | सदस्य |
| (7) श्री सुनील कुमार सिंह पिता- स्व० शिव लाल सिंह- | सदस्य |
| (8) श्री पंकज कुमार पिता- श्री हरवंश सिंह- | सदस्य |
| (9) श्री मनोज गोस्वामी- | सदस्य |
| (10) श्री पंकज कुमार सिंह पिता- स्व० जनेश्वर प्रसाद सिंह- | सदस्य |
| (11) श्रीमति कुमार खुशबु रानी पति- श्री विजय कुमार सिंह- | सदस्य |

सभी का पता- श्री रामजानकी मंदिर, मसौढ़ी, जिला- पटना।

उक्त आदेश के आलोक में “श्री रामजानकी मंदिर, मसौढ़ी, जिला- पटना” के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:-न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्यों को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलान/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

12 जुलाई 2021

सं० 1745—पटना जिलान्तर्गत गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी प्रबंध न्यास समिति, रोड नं०-12, गर्दनीबाग पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०-1391 है।

इस न्यास की व्यवस्था हेतु पर्षदीय ज्ञापांक- 1561, दिनांक-14/08/2015 द्वारा न्यास समिति का गठन पांच वर्षों के लिए किया गया था। न्यास समिति द्वारा अपने कार्यकाल में अंकेक्षण प्रतिवेदन, आय-व्यय विवरणी, पर्षद शुल्क आदि ससमय पर्षद में समर्पित किया जाता रहा। पर्षद को श्री अरुण कुमार वर्मा- सचिव का प्रतिवेदन पत्रांक-38, दिनांक-06/07/2020 प्राप्त है, जिसमें न्यास समिति के बैठक के कार्यवाई की प्रति समर्पित करते हुए, न्यास समिति के कार्यकाल को विस्तारित करने का अनुरोध किया गया। इस बीच न्यास के सचिव- श्री अरुण कुमार वर्मा का निधन दि०-21/09/20 को हो गया। पर्षद को न्यास समिति के पत्रांक- 01, दिनांक- 17/06/21 द्वारा एक सूची प्राप्त हुयी। इस सूची में न्यास समिति को अधिसूचित किया जाने का अनुरोध किया गया।

उपरोक्त परिस्थिति में न्यास समिति द्वारा अपने कार्यकाल में किये गये कार्यों के आलोक में प्रस्तावित सदस्यों की न्यास समिति गठित किये जाने का निर्णय पर्षद द्वारा लिया जाता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं०-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए “गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी प्रबंध न्यास समिति, रोड नं०- 12, गर्दनीबाग, पटना- 800002” के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी प्रबंध न्यास योजना, रोड नं०- 12, गर्दनीबाग, पटना- 800002” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास

- समिति का नाम “गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी प्रबंध न्यास समिति, रोड नं०- 12, गर्दनीबाग, पटना- 800002” होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
- न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।
 - न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।
 - न्यास समिति को यह भी निर्देश दिया जाता है कि मंदिर की जो भूमि अतिक्रमण कर ली गयी है, उस संबंध में सक्षम पदाधिकारी के यहां कार्रवाई करेंगे तथा मंदिर के नाम से राजस्व अभिलेखों में दाखिल-खारिज की कार्रवाई करेंगे। अधिनियम की धारा-44 के प्रावधान लागू रहेंगे।
 - मठ परिसर में जगह-जगह भेंट-पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
 - दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
 - मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों/श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
 - न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी तथा उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
 - न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो एवं पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
 - न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।
 - न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।
 - न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
 - अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
 - सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
 - जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
 - इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित ग्यारह सदस्यों की स्थायी न्यास समिति का गठन किया जाता है :-

(1) डॉ० रणवीर नन्दन	—	अध्यक्ष
(2) डॉ० संजीव कुमार (विभागाध्यक्ष, हृदय रोग)	—	सचिव
(3) पं० श्री सत्यप्रकाश पाण्डेय	—	कोषाध्यक्ष
(4) श्री अंजनी कुमार सिंह (भा०प्र०से०, अ०प्रा०)	—	सदस्य
(5) श्री चंचल कुमार (भा०प्र०से०)	—	“
(6) श्री अशोक कुमार सिंह (आई०पी०एस०)	—	“
(7) श्री अंजनी कुमार सिन्हा (पुलिस उपाधीक्षक, अ०प्रा०)	—	“
(8) श्री आशीष कुमार मिश्रा (वरिष्ठ पत्रकार)	—	“
(9) डॉ० नीता नाथ	—	“
(10) श्री वेद प्रकाश	—	“
(11) पं० श्री मुकेश रंजन झा (काली पुजारी)	—	“

पता—श्री गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी प्रबंध न्यास समिति, रोड नं०- 12, गर्दनीबाग, पटना- 2.

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

29 जुलाई 2021

सं० 2320—बोधगया मठ, जिला—गया पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—934/1960 है।

इस न्यास के सुचारु प्रबंधन हेतु एक न्यास समिति का गठन पर्षद के आदेश ज्ञापांक—1747, दिनांक—31.10.2020 द्वारा किया गया था। उक्त आदेश को बोधगया मठ के महंथ रमेश गिरि द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी० डब्ल्यू० जे० सी० संख्या—1491/2020 द्वारा प्रश्नगत किया गया। जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को इस आधार पर निरस्त किया कि उक्त आदेश अध्यक्ष द्वारा पारित किया गया है तथा पर्षद को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि पर्षद का गठन हो गया है और दोनों पक्षों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुए नये सिरे से निर्णय करें। याचिका के विचाराधीन रहते हुए महंथ रमेश गिरि मठ छोड़कर बनारस या कहीं अन्यत्र रहने लगे। इस संबंध में उन्होंने कई पत्र भी पर्षद को दिया कि वह डर वश मठ छोड़ रहे हैं और वर्ष 2020 से इस मठ में नहीं रह रहे हैं। इसी बीच त्रिवेणी गिरि द्वारा पर्षद को पत्र और फोटोग्राफ उपलब्ध कराया गया कि साधु-संतो और समाज के लोगों द्वारा उन्हें महंथ नियुक्त किया गया है। इस संबंध में त्रिवेणी गिरि को अभी पर्षद द्वारा मान्यता नहीं दी गयी है, चूंकि यह सुनवाई का विषय है। इस संबंध में महंथ रमेश गिरि के अधिवक्ता का कथन है कि रमेश गिरि को कभी भी महंथ के पद से हटाया नहीं गया है और न ही कोई आदेश इनके विरुद्ध पारित किया गया है।

उपरोक्त सभी परिस्थितियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि महंतों की नियुक्ति के संबंध में गम्भीर विवाद है और इसी विवाद के चलते मठ की सम्पत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। इसमें अतिक्रमण कर अवैध निर्माण भी किया जा रहा है दुकानदार आदि द्वारा भी सही तरीके से किराया नहीं दिया जा रहा है और कभी सत्य आय-व्यय विवरण भी किसी भी पक्ष के द्वारा दाखिल नहीं की गयी है तथा मठ के प्रबंधन में न केवल आर्थिक और प्रशासनिक गम्भीर समस्या है, बल्कि इसके साथ-साथ मठ के अन्दर तथा सभी पक्षों के बीच शांति भंग के साथ-साथ किसी अप्रिय घटना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

सभी पक्षों की तरफ से यह प्रार्थना की जा रही है कि जबतक कोई निर्णय नहीं होता जाता है तबतक मन्दिर की व्यवस्था प्रशासनिक पदाधिकारियों की एक समिति बना कर की जाए।

अतः बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए बोधगया मठ, जिला—गया के सुचारु प्रबंधन, चल-अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा, दुकानों के किराया आदि को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रशासनिक पदाधिकारियों की **समिति अगले आदेश तक के लिए गठन की जाती है।** जिसके निम्न सदस्य होंगे :-

1. माननीय सदस्य, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद
2. जिला पदाधिकारी, गया
3. वरीय आरक्षी अधीक्षक, गया
4. अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, गया
5. भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, गया
6. कार्यपालक पदाधिकारी, बोधगया

समिति द्वारा निम्न कार्य निष्पादित किया जायेगा :-

1. जिला पदाधिकारी, गया/समिति में से चुने हुए व्यक्ति अगले आदेश तक मठ की सभी प्रक्रिया के प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था एवं चल-अचल सम्पत्ति, किराया आदि को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में लेते हुए देख-भाल करेंगी।
2. सभी दुकानदार/किरायेदार/पट्टाधारी को निर्देश दिया जाता है कि समिति द्वारा निर्देशित व्यक्ति/जिला पदाधिकारी, गया को ही प्रत्येक माह किराये का भुगतान करेंगे तथा चल-अचल सम्पत्ति से जो आय प्राप्त होगी वह भी उनके द्वारा ही लिया जायेगा।
3. मठ में निवास कर रहे साधुओं द्वारा कोई आयोजन किया जाता है तो उसकी पूर्व सूचना जिला पदाधिकारी को देंगे तब जिला पदाधिकारी उसकी व्यवस्था हेतु खर्च आदि की व्यवस्था भी उक्त समिति द्वारा ही की जायेगी।
4. पूर्व परम्पराओं के अनुसार मठ में पूजा-पाठ जिस प्रकार से चल रहा है, उसी प्रकार चलता रहेगा।
5. जिला पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अपने स्तर से मन्दिर/मठ में कितनी दुकानें हैं, कितनी चल-अचल सम्पत्ति है, इसका भी सत्यापन करा ले तथा साथ ही साथ जो खटाले उनका भी निरीक्षण कराकर रिपोर्ट पर्षद के समक्ष शीघ्र भेजे।
6. मठ के बैंक खाते में से किसी भी प्रकार की कोई राशि की निकासी किसी भी व्यक्ति या महंथ द्वारा नहीं किया जायेगा।
7. जबतक महंती के बिन्दु पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तबतक मठ में स्थित **“महंथ का आसन”** ग्रहण किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायेगा। सामान्य रूप से पूजा-पाठ सभी व्यक्ति कर सकते हैं।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

सूचना

सं० 1015—मैं धर्मेन्द्र कुमार सिंह, पिता स्व० कुबेर सिंह, निवासी—राशी निवास, पश्चिमी कच्ची तालाब रोड, गर्दनीबाग, पो०—जी०पी०ओ०, जिला— पटना—800001 (बिहार) शपथ पत्र सं०—15095 तारीख 14.09.2021 द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि Vansh (वंश) मेरा पुत्र है। अब वह Kumar Vansh के नाम से जाना एवं पहचाना जायेगा।

धर्मेन्द्र कुमार सिंह।

सं० 1016—मैं, शिवम (SHIVAM) पिता— रमेश कुमार सिंह, पता— कुसुमपुरम कॉलोनी, दानापुर, थाना—रूपसपुर, पटना। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं अब शिवम सिंह के नाम से जाना जाऊँगा। शपथपत्र संख्या—442 दिनांक 27.08.2021.

शिवम (SHIVAM)।

सं० 1017—मैं हर्ष, पिता—स्व० रंजीत शरण, बी० 73 पुलिस कॉलोनी अनिसाबाद, थाना—गर्दनीबाग, पटना—800002, बिहार शपथ पत्र सं० 10295/28.06.2021 द्वारा सुचित करता हूँ कि अब मैं हर्ष शरण के नाम से जाना व पहचाना जाऊँगा।

हर्ष।

No. 1017--I, Harsh S/O Late Ranjit Sharan residing at B-73, Police Colony Anisabad, Patna, Bihar 800002, have changed my name to Harsh Sharan vide affidavit no. 10295 dated 28/06/21 at Patna.

Harsh.

सं० 1018— मैं कुमार गौरव, पिता—नवनीत शरण, निवासी बी—73, पुलिस कॉलोनी, अनिसाबाद, थाना—गर्दनीबाग, पटना—800002 बिहार शपथ पत्र सं० 10296/28.06.21 द्वारा सुचित करता हूँ कि अब मैं गौरव शरण के नाम से जाना व पहचाना जाऊँगा।

कुमार गौरव।

No. 1018--I, Kumar Gaurav S/o Navneet Sharan residing at B-73, Police colony Anisabad, Patna, Bihar 800002, have changed my name to Gaurav Sharan vide affidavit no. 10296 dated 28/06/21 at Patna.

Kumar Gaurav.

No. 1019-- I, AAKANKSHA KUMARI, D/o Jitendra Bhatt R/o Anand Vihar Comp., New P. P. Colony, Patna-13 vide affidavit no.12409 dated 22.12.2020 shall be known as Aakanksha Bhatt.

AAKANKSHA KUMARI.

No. 1023-- I, Mithlesh Kumar S/o Dev Narayan Ray resident of At+P.O.-Bairiya P.S.-Gopalpur, Distt. Patna 800007 declare vide affidavit no. 171 dated 23.09.2021 shall be known as Mithlesh Narayan Ray.

Mithlesh Kumar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 29—571+10—डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ०)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० ग्रा०वि०-14 (सा०) गो०-01/2017-598208

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

11 अक्तूबर 2021

श्री दृष्टि पाठक, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुचायकोट, गोपालगंज सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर, पूर्वी चम्पारण के विरुद्ध शिक्षक नियोजन, 2008 के अन्तर्गत अनियमित एवं अवैधानिक ढंग से नियोजन करने संबंधी आरोपों के लिये जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 579/स्था० दिनांक 17.08.2021 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया। जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर श्री पाठक का स्पष्टीकरण प्राप्त है।

श्री पाठक के विरुद्ध आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त आरोप की वृहत जाँच हेतु श्री पाठक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

श्री पाठक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु श्री शैलेन्द्र कुमार भारती, उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा नामित पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

तदनुसार एतद द्वारा श्री पाठक को आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जैसा कि संचालन पदाधिकारी आदेश दें अपना स्पष्टीकरण/लिखित बचाव बयान (साक्ष्य सहित) उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

सं० 1/एम०2-60-15/2021 गृ०आ०-7268

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

20 सितम्बर 2021

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के जाँच प्रतिवेदन एवं उसमें निहित निष्कर्ष तथा पुलिस महानिदेशक, बिहार की अनुशंसा के आलोक में भोजपुर, आरा जिला में बालू के अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, इसमें संलग्न लोगों को मदद पहुँचाने, अवैध उत्खनन/परिवहन में संलिप्त रहने, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखने एवं संदिग्ध आचरण से संबंधित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(1)(a) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते

हुए श्री राकेश कुमार दूबे, भा0पु0से0 (नवप्रोन्नत), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, आरा को विभागीय संकल्प 5102, दिनांक 27.07.2021 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। साथ ही, उक्त गंभीर आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित करने के निमित्त विभागीय ज्ञापन 6293, दिनांक 24.08.2021 द्वारा "आर्टिकल्स ऑफ चार्ज", "स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेन्स ऑफ मिसबिहेवियर एण्ड मिसकण्डक्ट" एवं साक्ष्य/गवाहा तालिका सहित निर्गत किया गया।

2. और चूँकि अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के अंतर्गत विहित प्रक्रिया के आलोक में श्री दूबे के निलंबन के संबंध में अपेक्षित प्रतिवेदन गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजते उनके निलंबन को संपुष्ट करने हेतु विभागीय पत्रांक 5202, दिनांक 28.07.2021 के माध्यम से अनुरोध किया गया।

3. और चूँकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक 26011/24/2021-IPS.II, दिनांक 06.08.2021 के माध्यम से श्री दूबे के निलंबन अवधि को दिनांक 24.09.2021 तक संपुष्ट की गयी है अर्थात् श्री दूबे के निलंबन अवधि की वैधता निलंबन की तिथि 27.07.2021 से 60 दिनों अर्थात् दिनांक 24.09.2021 तक है।

4. और चूँकि श्री दूबे के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 24.08.2021 को निर्गत करते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु नियमानुसार 30 दिनों का समय प्रदान किया गया है। श्री दूबे से उनका लिखित अभिकथन/बचाव बयान प्राप्त नहीं हुआ है। श्री दूबे से बचाव-बयान प्राप्त होने के पश्चात् उसपर सक्षम प्राधिकार के निर्णय/आदेश के अनुरूप अग्रतर कार्यवाई की प्रक्रिया निर्धारित होगी। इसके अतिरिक्त श्री दूबे के विरुद्ध आय से अधिक (अप्रत्यानुपातिक धनार्जन) की जाँच हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार/आर्थिक अपराध इकाई, बिहार से अनुरोध किया गया है। सम्प्रति आर्थिक अपराध इकाई की जाँच की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है। ऐसी स्थिति में श्री दूबे के निलंबन को बनाये रखने के औचित्य/आधार के संबंध में निलंबन समीक्षा समिति द्वारा विचार किया गया तथा विचारोपरांत समिति द्वारा श्री दूबे के निलंबन अवधि को दिनांक 24.09.2021 के आगे 120 दिनों तक अर्थात् दिनांक 22.01.2022 तक विस्तारित करने की अनुशंसा की गयी, जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

5. अतः अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के प्रावधानों के अंतर्गत निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री राकेश कुमार दूबे, भा0पु0से0 (नवप्रोन्नत) के निलंबन की अवधि दिनांक 24.09.2021 के आगे 120 दिनों तक अर्थात् दिनांक 22.01.2022 तक विस्तारित की जाती है।

6. श्री राकेश कुमार दूबे, भा0पु0से0 (नवप्रोन्नत) को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

सं0 1/एम02-60-15/2021 गृ0आ0-7269

संकल्प

20 सितम्बर 2021

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के जाँच प्रतिवेदन एवं उसमें निहित निष्कर्ष तथा पुलिस महानिदेशक, बिहार की अनुशंसा के आलोक में औरंगाबाद जिला में बालू के अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, इसमें संलग्न लोगों को मदद पहुँचाने, अवैध उत्खनन/परिवहन में संलिप्त रहने, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखने एवं संदिग्ध आचरण से संबंधित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(1)(a) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुधीर कुमार पोरिका, भा0पु0से0 (2010), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद को विभागीय संकल्प 5103, दिनांक 27.07.2021 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। साथ ही, उक्त गंभीर आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित करने के निमित्त विभागीय ज्ञापन 6292, दिनांक 24.08.2021 द्वारा "आर्टिकल्स ऑफ चार्ज", "स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेन्स ऑफ मिसबिहेवियर एण्ड मिसकण्डक्ट" एवं साक्ष्य/गवाहा तालिका सहित निर्गत किया गया।

2. और चूँकि अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के अंतर्गत विहित प्रक्रिया के आलोक में श्री पोरिका के निलंबन के संबंध में अपेक्षित प्रतिवेदन गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजते उनके निलंबन को संपुष्ट करने हेतु विभागीय पत्रांक 5202, दिनांक 28.07.2021 के माध्यम से अनुरोध किया गया।

3. और चूँकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक 26011/25/2021-IPS.II, दिनांक 06.08.2021 के माध्यम से श्री पोरिका के निलंबन अवधि को दिनांक 24.09.2021 तक संपुष्ट की गयी है अर्थात् श्री पोरिका के निलंबन अवधि की वैधता निलंबन की तिथि 27.07.2021 से 60 दिनों अर्थात् दिनांक 24.09.2021 तक है।

4. और चूँकि श्री पोरिका के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 24.08.2021 को निर्गत करते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु नियमानुसार 30 दिनों का समय प्रदान किया गया है। श्री पोरिका से उनका लिखित अभिकथन/बचाव बयान प्राप्त नहीं हुआ है। श्री पोरिका से बचाव-बयान प्राप्त होने के पश्चात् उसपर सक्षम प्राधिकार के निर्णय/आदेश के अनुरूप अग्रतर कार्यवाई की प्रक्रिया निर्धारित होगी। इसके अतिरिक्त श्री पोरिका के विरुद्ध आय से अधिक (अप्रत्यानुपातिक धनार्जन) की जाँच हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार/आर्थिक अपराध इकाई, बिहार से अनुरोध किया गया है। सम्प्रति आर्थिक अपराध इकाई की जाँच की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है। ऐसी स्थिति में श्री पोरिका के निलंबन को बनाये रखने के औचित्य/आधार के संबंध में निलंबन समीक्षा समिति द्वारा विचार किया गया तथा विचारोपरांत समिति द्वारा श्री पोरिका के निलंबन अवधि को दिनांक 24.09.2021

के आगे 120 दिनों तक अर्थात् दिनांक 22.01.2022 तक विस्तारित करने की अनुशंसा की गयी, जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

5. अतः अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के प्रावधानों के अंतर्गत निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री सुधीर कुमार पोरिका, भा0पु0से0 (2010) के निलंबन की अवधि दिनांक 24.09.2021 के आगे 120 दिनों तक अर्थात् दिनांक 22.01.2022 तक विस्तारित की जाती है।

6. श्री सुधीर कुमार पोरिका, भा0पु0से0 (2010) को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

सं0 27/आरोप-01-105/2019-सा0प्र0-11655
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

1 अक्टूबर 2021

श्रीमती पूनम कुमारी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1185/11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया के विरुद्ध कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया के पद पर पदस्थापन अवधि में विभिन्न टैक्स मदों में वसूल की गई कुल राशि रु0 85.45 लाख रुपये नगर पालिका निधि के बैंक खाते/ट्रेजरी में जमा नहीं करने एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने संबंधी आरोपों के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5426 दिनांक-18.10.19 द्वारा विहित प्रपत्र-‘क’ में आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया।

2. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में इस विभाग के स्तर से आरोप-पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तदोपरांत विभागीय पत्रांक-1963 दिनांक-06.02.2020 द्वारा श्रीमती पूनम कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्रीमती कुमारी के पत्र दिनांक-29.12.2020 द्वारा विभाग को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

3. श्रीमती पूनम कुमारी के स्पष्टीकरण की समीक्षा के क्रम में विभागीय पत्रांक-1694 दिनांक-08.02.2021 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग से यह सूचित करने का अनुरोध किया गया कि आरोप-पत्र में अंकित राशि 85.45 लाख रुपये नगरपालिका निधि के बैंक खाते/ट्रेजरी में जमा किया गया है अथवा नहीं। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2548 दिनांक-06.08.2021 द्वारा सूचित किया गया कि “इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया के पत्रांक 361 दिनांक 10.07.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा विभिन्न टैक्स मदों में वसूल की गई राशि कुल 8545130/- (पच्चासी लाख पैतालिस हजार एक सौ तीस) रुपये में से 5,65,920/- (पांच लाख पैंसठ हजार नौ सौ बीस) रुपये चालान संख्या-सी020 दिनांक-15.11.2018 द्वारा कोषागार में जमा कराया गया है। स्पष्ट है कि श्रीमती पूनम कुमारी द्वारा कार्यालय प्रधान के रूप में अपने पदीय दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया गया है तथा वे राशि नगर पालिका निधि के खाते/ कोषागार में जमा नहीं करने एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने के लिए दोषी है।”

4. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं प्रतिवेदन तथा श्रीमती पूनम कुमारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत प्रस्तुत मामले की विस्तृत जांच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत श्रीमती पूनम कुमारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

5. श्रीमती पूनम कुमारी के विरुद्ध संचालित की जा रही इस विभागीय कार्यवाही में आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी होंगे।

6. श्रीमती पूनम कुमारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु संचालन पदाधिकारी के आदेशानुसार उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव।

सं0 27/आरोप-01-113/2019-सा0प्र0-11813

5 अक्टूबर 2021

श्री प्रेमकान्त सूर्य (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1363/11, तत्कालीन प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रोहतास के विरुद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4903 दिनांक-16.10.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

2. विभागीय पत्रांक-8227 दिनांक-06.08.2021 द्वारा श्री सूर्य से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री सूर्य के पत्रांक-842, दिनांक-24.08.2021 द्वारा अपना स्पष्टीकरण इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री सूर्य के विरुद्ध आरोप है कि सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा दिनांक-23.09.2019 को Video conferencing के माध्यम से आयोजित विभागीय कार्यों की समीक्षा के क्रम में रोहतास जिलान्तर्गत कुल 332677 कार्डधारकों (RC-01) एवं कुल 1604473 सदस्यों (RC-02) में से क्रमशः 278729 एवं 1127703 आधार सीडिंग किया गया। वर्तमान में (RC-01) आधार सीडिंग हेतु 53948 कार्डधारियों एवं RC-02 आधार सीडिंग हेतु 476770 लाभुकों का आधार सीडिंग लंबित है। रोहतास जिले में RC-01 (83.78%) एवं RC-02 (70.28%) की प्रविष्टि की गति काफी धीमी है। समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि रोहतास जिले में राशन कार्ड में नये नाम जोड़ने से संबंधित स्वीकृत कुल 63503 आवेदनों में से मात्र 11254 नये राशन कार्ड निर्गत/ निर्माण किये गये हैं, जबकि 52249 आवेदनों का अंतिम रूप से निष्पादन नहीं किया गया है। अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत 898 राशन कार्डों का सत्यापन अब तक लंबित है एवं विभाग द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदारों से संबंधित सूचना मांगी गयी थी, जिसे ससमय उपलब्ध नहीं कराया गया।

समर्पित स्पष्टीकरण में श्री सूर्य का कहना है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभारित पद के दायित्वों का निर्वहन करने का उनके द्वारा प्रयास किया गया है, जिसके तहत (RC-01) एवं (RC-02) आधार सीडिंग में रोहतास जिला द्वारा क्रमशः 85 प्रतिशत एवं 71 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है। राशन कार्ड निर्गमन की कार्रवाई हेतु श्री सूर्य द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रतिवेदित आरोप एवं श्री सूर्य से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त राशन कार्ड में नये नाम जोड़ने से संबंधित लक्ष्य का मात्र 35 प्रतिशत पूरा करने के फलस्वरूप इस मामले में अपने दायित्व का सम्यक् निर्वहन नहीं कर पाने, दायित्वहीनता एवं लापरवाही बरतने का आरोप के लिये इन्हें दोषी मानते हुये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित)के नियम-14 के अन्तर्गत (i) "निन्दन" का दंड देने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

9. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री प्रेमकान्त सूर्य (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1363/11, तत्कालीन प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रोहतास के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम-14 के अन्तर्गत (i) "निन्दन" (वर्ष 2019-20) का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव।

सं0 27/मुक0-5-5/2020-सा0प्र0-12308

20 अक्टूबर 2021

श्री मनोज कुमार रजक, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-893/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरकटियागंज, बेतिया द्वारा बिहार बोर्ड नियमावली के नियम 332 एवं 333 की अनदेखी करने, प्रखंड नजारत के रोकड़बही में सामयिक प्रविष्टि नहीं कराने एवं शिथिलता बरते जाने से संबंधित प्रतिवेदित आरोप के लिए जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया ने श्री रजक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। श्री रजक ने अपना स्पष्टीकरण जिला पदाधिकारी, बेतिया को समर्पित किया। इनके स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत जिला पदाधिकारी, बेतिया द्वारा श्री रजक के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर स्पष्टीकरण सहित इस विभाग को उपलब्ध कराते हुए इनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई करने एवं लघु दण्ड देने की अनुशंसा की गई।

2 जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया द्वारा श्री रजक के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप पर इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण तथा जिला पदाधिकारी की अनुशंसा के समीक्षोपरांत सरकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6333 दिनांक-11.06.2008 द्वारा इन्हें निन्दन की सजा (वर्ष 2006-07) दी गयी।

3 उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री रजक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी.डब्लू.जे.सी. सं.-13168/2010 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-18.04.2018 को आदेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

Accordingly the order dated 11th June, 2008 passed by the Additional secretary is set aside. If so advised, they may proceed in accordance with law.

4 माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक-18.04.2018 को पारित आदेश के आलोक में श्री मनोज कुमार रजक, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-893/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरकटियागंज, बेतिया के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6333 दिनांक-11.06.2008 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित दंड निन्दन की सजा (वर्ष 2006-07) को वापस लेने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक-18.04.2018 को पारित आदेश के आलोक में श्री मनोज कुमार रजक, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-893/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी,

नरकटियागंज, बेतिया के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6333 दिनांक-11.06.2008 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित दंड निन्दन की सजा (वर्ष 2006-07) को वापस लिया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव।

सं० 2/आरोप-01-54/2014-सा०प्र०-10397

13 सितम्बर 2021

श्री जय किशोर प्रसाद (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 777/08, तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सिवान के विरुद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2232 दिनांक 25.07.2014 द्वारा साक्ष्यों सहित आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' एवं संचिका में उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेखों के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय पत्रांक 13628 दिनांक 29.09.2014 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री प्रसाद के पत्र दिनांक 25.10.2014 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक 17109 दिनांक 12.12.2014 द्वारा श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण पर नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 2602 दिनांक 13.08.2021 द्वारा श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त मंतव्य की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त आरोप की गंभीरता एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के मंतव्य के आलोक में गठित आरोप-पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

जिला पदाधिकारी, सिवान को निदेश दिया जाता है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित करेंगे।

श्री प्रसाद से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

सं० 2/आरोप-01-03/2018-सा०प्र०-9180

19 अगस्त 2021

श्री अनिल कुमार सिन्हा (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 1049/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही, मधुबनी के विरुद्ध वर्ष 2007-08 में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 14वीं लोकसभा के माननीय सांसद श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, झंझारपुर संसदीय क्षेत्र की अनुशंसा के अनुसार स्वीकृत योजनाओं को ससमय पूर्ण कराये जाने में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने संबंधी आरोप के लिए जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 455 दिनांक 12.03.2020 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोप-पत्र एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर श्री सिन्हा के विरुद्ध विभागीय स्तर पर गठित आरोप-पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों के संबंध में श्री सिन्हा से विभागीय पत्रांक 11766 दिनांक 10.12.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की गयी। उक्त के आलोक में श्री सिन्हा के पत्रांक 1016 दिनांक 29.12.2020 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 1022 दिनांक 25.01.2021 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी से मंतव्य की मांग की गयी, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 1294 दिनांक 27.07.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री सिन्हा के विरुद्ध आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी का मंतव्य निम्नलिखित है :-

आरोप सं०-01 :-बाबूबरही प्रखंड के अन्तर्गत हनुमान नगर ब्रह्मोत्तरा में कब्रिस्तान की घेराबंदी का निर्माण कार्य से संबंधित योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रथम किस्त मो० 2,22,300.00 रु० उपलब्ध करा दिये जाने के बावजूद आरोपी पदाधिकारी

द्वारा योजना को पूर्ण कराने में अभिरुचि नहीं ली गयी तथा समुचित पर्यवेक्षण नहीं किया गया, फलस्वरूप योजना अपूर्ण रही।

स्पष्टीकरण :-अधोहस्ताक्षरी बाबूबरही प्रखंड, मधुबनी के प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में दिनांक 16.04.2007 से 02.04.2008 तक प्रभार में थे। आरोप में वर्णित दोनों योजना मेरे प्रभार वाले वित्तीय वर्ष 2007-08 का है। विदित हो कि 2007 में बाबूबरही प्रखंड के साथ-साथ मधुबनी जिला के कई अन्य प्रखंडों में भीषण बाढ़ आने के कारण आवागमन के सारे मार्ग अवरुद्ध थे। योजना को पूर्ण करने हेतु आवश्यक सामग्री यथा गिट्टी, बालू, सिमेंट आदि का परिवहन किसी भी रूप में संभव नहीं था। उस समय मैं अंचल अधिकारी बाबूबरही-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही के पद पर कार्यरत था। तत्कालीन जिला पदाधिकारी, मधुबनी श्री राहुल सिंह, भा0प्र0से0 द्वारा सभी अंचलाधिकारियों को उक्त भीषण बाढ़ के समय सभी कार्यों से आपदा राहत कार्य को प्राथमिकता देकर बाढ़ में फँसे लोगों की जान बचाने एवं उन्हें राहत मुहैया कराने का निदेश दिया गया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी तत्कालीन जिला पदाधिकारी के आदेश के अनुपालन में बाढ़ पीड़ितों के मदद के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया गया।

उसी समय सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा मेरी सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार से वापस कर मुझे कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में समाहरणालय, पटना में पदस्थापित करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय में योगदान की तिथि से ही प्रतिनियुक्ति कर दी गयी। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के उक्त आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा दिनांक 02.04.2008 को अंचल अधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही का प्रभार सौंपकर समाहरणालय, पटना में योगदान किया गया।

अधोहस्ताक्षरी के विरुद्ध गठित आरोप-पत्र (प्रपत्र 'क') में आरोप मर्दों को सिद्ध करने हेतु साक्ष्य के रूप में जिन 29 (उन्तीस) पत्रों का उल्लेख किया गया है वे सभी पत्र वर्ष 2010 से 2017 के बीच निर्गत हैं, जबकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना के आलोक में दिनांक 02.04.2008 को ही अंचल अधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही का प्रभार त्याग दिया गया था। उक्त तथ्य श्री संजय कुमार सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 344905/पटना दिनांक 26.12.2017 में उल्लेखित अधोहस्ताक्षरी के पदस्थापन अवधि से भी प्रमाणित होता है।

अतः वर्ष 2007-08 में मधुबनी में आए भीषण बाढ़ के कारण आवागमन का मार्ग बाधित होने, फरवरी, 2008 में ही मेरा स्थानान्तरण हो जाने तथा आरोप को सिद्ध करने हेतु साक्ष्य के रूप में निर्गत पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही के पद पर पदस्थापन अवधि (16.04.2007 - 02.04.2008) के दो साल बाद 2010 से 2017 के बीच निर्गत होने संबंधी तथ्यों से स्पष्ट है कि मुझपर लगाया गया आरोप तथ्यहीन एवं बेबुनियाद है।

जिला पदाधिकारी, मधुबनी का मंतव्य :-बाबूबरही प्रखंड के अन्तर्गत हनुमान नगर ब्रह्मोत्तरा में कब्रिस्तान की घेराबंदी का निर्माण कार्य से संबंधित मूल अभिलेख संख्या-03/2007-08 का अवलोकन किया।

अभिलेख के अनुसार दिनांक 30.11.2007 तक संवेदक को दी गई कुल राशि 2,22,500.00 रु0 मापीपुस्त दिनांक 26.11.2007 तक कुल मापी मो0 1,79,433.00 रु0 दर्ज है। तकनिकी सहायक द्वारा भौतिक सत्यापन में पाया गया कि सड़क के किनारे से सामने के तरफ 50 प्रतिशत कार्य हो चुका है, पीछे से घेराबंदी का कार्य नहीं हुआ है।

श्री अनिल कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा इस योजना में मो0-2,22,500.00 रु0 अग्रिम दिया गया था, जिसके आलोक में कार्य मो0 1,79,433.00 रु0 का मापीपुस्त दर्ज किया गया है। अभिकर्ता के द्वारा ली गयी अग्रिम के अनुरूप कार्य नहीं हो पाया।

उक्त अग्रिम राशि का कार्य पूर्ण के पश्चात् दी गयी। तकनिकी सहायक ने भौतिक सत्यापन में भी किया कि ली गई अग्रिम मो0 2,22,500.00 रु0 के आलोक में मो0 1,79,433.00 रु0 का कार्य पूर्ण किया गया। संभवतः वर्ष 2007 में भीषण बाढ़ के कारण कार्य बाधित हो गई होगी। लगभग 09 माह के पश्चात् श्री सिन्हा स्थानांतरित होकर पटना समाहरणालय में पदस्थापित हो गये। अतः श्री सिन्हा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है।

आरोप सं0-02 :-बाबूबरही प्रखंड के अन्तर्गत पिपराघाट में शौचालय/पेयजल सहित सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य से संबंधित योजना के कार्यान्वयन हेतु दोनों किस्त मो0-4,50,000.00 (चार लाख पचास हजार रु0) रु0 उपलब्ध करा दिये जाने के बावजूद आरोपी पदाधिकारी द्वारा योजना को पूर्ण कराने में अभिरुचि नहीं ली गयी तथा समुचित पर्यवेक्षण नहीं किया गया, फलस्वरूप योजना अपूर्ण रही।

स्पष्टीकरण:-आरोपित पदाधिकारी श्री सिन्हा द्वारा आरोप सं0-01 के संबंध में जो स्पष्टीकरण अंकित किया गया है, वही स्पष्टीकरण आरोप सं0-02 में भी अंकित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, मधुबनी का मंतव्य :-बाबूबरही प्रखंड के अन्तर्गत पिपराघाट में शौचालय/पेयजल सहित सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य से संबंधित मूल अभिलेख सं0-02/2007-08 का अवलोकन किया।

अभिलेख के अनुसार दिनांक 12.10.2007 तक संवेदक को दी गई कुल राशि 2,17,500.00 रु0 दिनांक 04.07.2008 को मो0 1,00,000.00 रु0 दिनांक 15.06.2009 को मो0 1,00,000.00 रु0 कुल अग्रिम मो0 4,17,500.00 रु0। मापीपुस्त दिनांक 05.06.2007 को मो0 1,09,119.00 रु0 तथा दिनांक 15.10.2008 तक मो0-3,25,903.00 रु0 का दर्ज हुआ है। तकनिकी सहायक द्वारा पाया गया कि छत ढलाई का कार्य हो चुका है, प्लास्टर के साथ खिड़की, दरवाजा का काम भी हो चुका है, शौचालय का कार्य नहीं हुआ है। एक चापाकल लगा हुआ पाया गया।

श्री सिन्हा द्वारा इस योजना में मो0 2,17,500.00 रु0 अग्रिम दिया गया था जिसके आलोक में कार्य कराते हुए दिनांक 05.09.2007 तक मो0 1,09,119.00 रु0 का मापीपुस्त दर्ज किया गया है। कालान्तर में इनके द्वारा दी गयी अग्रिम के विरुद्ध मापीपुस्त संधारित किया गया है।

उक्त अग्रिम राशि का कार्य पूर्ण के पश्चात् दी गयी। तकनीकी सहायक ने भौतिक सत्यापन में भी किया कि ली गयी अग्रिम मो0 2,17,500.00 रु0 के आलोक में मो0 1,09,119.00 रु0 का कार्य पूर्ण किया गया। संभवतः वर्ष 2007 में भीषण बाढ़ के कारण कार्य बाधित हो गयी होगी। लगभग 09 माह के पश्चात् श्री सिन्हा स्थानांतरित होकर पटना समाहरणालय में पदस्थापित हो गये।

इस प्रकार श्री अनिल कुमार सिन्हा द्वारा अपने कार्यकाल में दिये अग्रिम में 50 प्रतिशत से अधिक कार्य अपने पर्यवेक्षण में करा लिया गया था। बाढ़ एवं अन्य कार्य तथा स्थानांतरण के कारण संभवतः कार्य पूर्ण नहीं हुई होगी। अतः श्री सिन्हा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है।

श्री सिन्हा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त मंतव्य की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिन्हा के विरुद्ध उनके पदस्थापन अवधि में वर्ष 2007-08 में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 14वीं लोकसभा के माननीय सांसद श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के एच्छिक कोष से स्वीकृत योजनाओं को ससमय पूर्ण करने की दिशा में उदासीनता बरतने से संबंधित है। बाबूबरही प्रखंड के अन्तर्गत हनुमान नगर ब्रह्मोत्तरा में कब्रिस्तान की घेराबंदी का निर्माण कार्य से संबंधित योजना के संबंध में जिला पदाधिकारी का कहना है कि ली गई अग्रिम मो0 2,22,500.00 रु0 के आलोक में मो0 1,79,433.00 रु0 का कार्य पूर्ण किया गया। साथ ही बाबूबरही प्रखंड के अन्तर्गत पिपराघाट में शौचालय/पेयजल सहित सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य से संबंधित योजना के लिए ली गयी अग्रिम मो0 2,17,500.00 रु0 के आलोक में मो0 1,09,119.00 रु0 का कार्य पूर्ण किया गया। उल्लेखनीय है कि जिला पदाधिकारी द्वारा श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण पर कहना है कि संभवतः वर्ष 2007 में भीषण बाढ़, अन्य कार्य एवं स्थानांतरण के कारण संभवतः कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है। इस प्रकार जिला पदाधिकारी द्वारा संभावनाओं के आधार पर श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है। श्री सिन्हा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को संभावनाओं के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

वर्णित दोनों योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन में उदासीनता एवं पर्यवेक्षण का अभाव पाया गया है। दोनों योजना में दी गयी अग्रिम का शत-प्रतिशत मापी पुस्त प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्य तेजी के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। श्री सिन्हा द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है, जिस कारण से योजना को ससमय पूर्ण नहीं किया जा सका। स्पष्टतया श्री सिन्हा के द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही एवं कार्यों के पर्यवेक्षण में शिथिलता बरती गई है। ध्यातव्य है कि सांसद मद से लोक कल्याणकारी योजनाओं का कार्य कराया जाता है। श्री सिन्हा द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण योजनाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया एवं निर्माण कार्य के कार्य में लापरवाही बरती गयी, जो एक लोक सेवक के लिए कर्तव्यहीनता का द्योतक है। इनका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) के प्रतिकूल है।

समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए इनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-19(1) प्रावधान के तहत “निन्दन (आरोप वर्ष 2007-08)” का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अनिल कुमार सिन्हा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1049/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही, मधुबनी के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-19(1) प्रावधान के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है—

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2007-08)

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

सं0 2/सी0-111/2010-सा0प्र0-11244

24 सितम्बर 2021

श्री अमरनाथ साहा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 549/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौहट्टा, सहरसा सम्प्रति सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध प्रखंड मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसल के लिए कृषि अनुदान की राशि लाभुकों के बीच वितरित नहीं करने, इंदिरा आवास योजना की प्रतीक्षा सूची के विरुद्ध बी0पी0एल0 परिवार के लाभुकों के नाम बैंकों में खोले गये खाता संबंधी प्रतिवेदन नहीं भेजने, निदेश दिये जाने के बावजूद राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत डाटा इन्ट्री का कार्य प्रारम्भ नहीं करने, एस0जी0एस0वाई0 की राशि खर्च नहीं करने, अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता एवं कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने इत्यादि आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक 26/गो0 दिनांक 28.01.2010 द्वारा साक्ष्यों सहित आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया।

श्री साहा से उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 2538 दिनांक 24.05.2010 द्वारा स्पष्टीकरण की गयी। श्री साहा के पत्रांक 66 दिनांक 15.08.2014 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री साहा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री साहा के विरुद्ध आरोपों की वृहत् जाँच करने हेतु बिहार सरकारी

सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12500 दिनांक 14.06.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा के पत्रांक 869 दिनांक 26.08.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोप संख्या-1(3) एवं 2 को **“आंशिक रूप से प्रमाणित”** एवं शेष आरोप को **“अप्रमाणित”** प्रतिवेदित किया गया।

श्री साहा का दिनांक 30.09.2020 को सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 11676 दिनांक 09.12.2020 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत सम्पूरित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक 8042 दिनांक 08.09.2020 द्वारा श्री साहा से बचाव अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री साहा के पत्रांक 15/गो0 दिनांक 15.09.2020 द्वारा बचाव अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री साहा ने अपने अभिकथन में कहा है कि किसी भी आरोप को प्रमाणित होने के लिए प्रासंगिक साक्ष्य की आवश्यकता होती है, जिसका यहाँ सर्वथा अभाव है। बिना प्रासंगिक साक्ष्य के कोई आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित नहीं हो सकता है। आरोप संख्या-2 जिसे संचालन पदाधिकारी ने आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया है के संबंध में इनका कहना है कि कोई भी साक्ष्य जिला प्रशासन के पास नहीं है अर्थात् प्रश्नगत आरोप साक्ष्यहीन एवं बेबुनियाद है।

श्री साहा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त बचाव अभ्यावेदन, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा की गयी। उपलब्ध प्रतिवेदन/अभिलेखों के समीक्षोपरांत श्री साहा के विरुद्ध निम्नांकित तथ्य पाया गया :-

जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा दिनांक 02.12.2008 को अंचल कार्यालय नौहट्टा के रोकड़ पंजी में कृषि अनुदान मद में मो0 रू0 1385100.00 शेष पाया, जबकि यह राशि वर्ष 2007 बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों के विरुद्ध कृषकों को दिया जाना था। लेकिन इस राशि का वितरण किसानों को नहीं किया गया।

किसानों के बीच व्याप्त असंतोष के फलस्वरूप दिनांक 16.01.2008 को बिहार राज्य किसान सभा द्वारा धरना दिया गया। प्रखंड कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से लिखित में दिया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री साहा प्रायः 12-12.30 बजे अप0 तक कार्यालय आते हैं, कभी-कभी 3-4 बजे अप0 तक कार्यालय आते हैं और 5.00 बजे संध्या के बाद चले जाते हैं। कार्यालय अवधि में कार्यालय में रहकर कार्य नहीं करने तथा इंदिरा आवास, कृषि अनुदान का कार्य नहीं किये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न जन आक्रोश के कारण लगभग चार दिनों से नौहट्टा प्रखंड में संचालित अनशन को दिनांक 10.05.2008 को उप विकास आयुक्त, सहरसा के हस्तक्षेप के पश्चात् समाप्त किया गया।

आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 869 दिनांक 26.08.2020 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में भी श्री साहा के विरुद्ध आरोप संख्या-1(3) एवं 2 को **“आंशिक रूप से प्रमाणित”** एवं शेष आरोप को **“अप्रमाणित”** प्रतिवेदित किया गया।

समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री साहा के बचाव अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत **“05 प्रतिशत पेंशन पाँच वर्षों के लिए कटौती”** का शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा भी सहमति दी गयी। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6866 दिनांक 09.07.2021 द्वारा श्री साहा के विरुद्ध **“05 प्रतिशत पेंशन पाँच वर्षों के लिए कटौती”** का शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

श्री साहा द्वारा अधिरोपित दंड पर विचार हेतु पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें मुख्यतया निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

“आरोप संख्या-2(1) में भी यह आरोप है कि कार्यालय में मेरे अनुपस्थिति के कारण लाभ के योजनाओं का कार्यान्वयन समुचित रूप में नहीं होने के कारण आम जनता एवं जनप्रतिनिधि आक्रोशित थे तथा आमरण अनशन किया करते थे। किन्तु आरोप संख्या-2(1) के संदर्भ में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। जिला पदाधिकारी, सहरसा के मंतव्य में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि “आरोपी पदाधिकारी के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं होने के कारण आरोप आधारहीन प्रतीत होता है।” तदनुसार आरोप को प्रमाणित नहीं मानते हुए अपने अभियुक्ति में संचालन पदाधिकारी के द्वारा लिखा गया है कि “आरोप प्रमाणित नहीं होता है।” आरोप संख्या-1(3) और 2 से संबंधित कोई भी साक्ष्य प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के द्वारा मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया और मेरे द्वारा मांगे गये कोई भी कागजात ही मुझे दिया गया। फिर भी उन आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित मान लिया गया जबकि बिहार सी0सी0ए0रूल्स में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि किसी भी आरोप के प्रमाणिकता के लिए संदर्भित साक्ष्य (Relavant Evidence) का होना आवश्यक है, जिसका नजर अंदाज किया गया।

मैंने अपने स्पष्टीकरण में उपरोक्त वर्णित तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख किया था, फिर भी अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को समुष्ट कर दिया गया तथा 5 प्रतिशत पेंशन की कटौती 5 वर्षों के लिए दंड मुझ पर अधिरोपित कर दिया गया, जो कि सर्वथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। प्रश्नगत संकल्प संख्या 6866 दिनांक 09.07.2021 अपने आप में स्वतः विरोधाभास से परिपूर्ण है क्योंकि विभाग द्वारा इस तथ्य को अवहेलना की गई है कि एक आरोप जो 2 हेड में है दोनों में साक्ष्यों का अभाव है, परन्तु समान आरोप संख्या-2(1) को अप्रमाणित माना गया, जबकि आरोप संख्या-1(3) एवं 2 को आंशिक रूप से प्रमाणित मान लिया गया। प्रपत्र “क” में लगाये गये आरोप पूर्णतः स्थानीय नेता के दबाव में लगाया गया था, जिसमें एक स्थानीय नेता श्री जीवछ चौधरी जो लगातार अनशन एवं धरना प्रदर्शन में लगे

रहते थे एवं अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु मुझ पर गैर मजरूआ आम जमीन को उनके नाम से जमाबंदी कायम करने का दबाव बनाया जा रहा था और जब मैं उनके दबाव के आगे नहीं झुका तो उन्होंने धरना प्रदर्शन कर उच्च अधिकारियों पर दबाव बनाया गया तथा मेरे स्थानान्तरण के पश्चात् तत्कालीन जिला पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा बिना कोई साक्ष्य के प्रपत्र "क" का गठन मेरे विरुद्ध किया गया, जबकि करीब एक वर्ष पूर्व ही मेरा स्थानान्तरण प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौहट्टा (सहरसा) के पद से हो चुका था।

मैंने अपने पदस्थापन काल में अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्णरूपेण किया था किन्तु पता नहीं किन तथ्यों के आधार पर बिना प्रासंगिक साक्ष्य के ही आरोप संख्या-1(3) एवं 2 को आंशिक रूप से प्रमाणित मान लिया गया। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि न ही संचालन पदाधिकारी और न ही अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखा गया कि लगाये गये आरोप पूर्णतः साक्ष्य विहीन हैं और मुझ पर उपर्युक्त दंड अधिरोपित कर दिया गया, जो सर्वथा उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल है। द्रष्टव्य है कि माननीय उच्च न्यायालय, एवं सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्याय निर्णयों में अनुशासनिक प्राधिकार को विभागीय में कार्यवाही में तथ्यों में परिसिलन (Perusal) एवं साक्ष्यों के अवलोकन का दायित्व दिया है तथा दंड अधिरोपित करने में उन तथ्यों के आधार पर मंतव्य निश्चित करने का दिशा निर्देश दिया गया है। राम अवतार सिंह बनाम भोजपुर, रोहतास, ग्रामीण बैंक में यह व्यवस्था दिया गया है :-

"The Disciplinary authority while assigning punishment should take into consideration whether the charge have been proved or not so."

श्री साहा द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि उनके द्वारा पूर्व में दिये गये अभ्यावेदन में अंकित बिन्दुओं का पुनः उल्लेख किया गया है। आरोप संख्या-1(3) एवं आरोप संख्या-2 के संबंध में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। जिला पदाधिकारी, सहरसा (पत्रांक 3639 दिनांक 16.12.2008) एवं उप विकास आयुक्त, सहरसा (पत्रांक 10-1/गो0 दिनांक 10.05.2008) के पत्र से स्पष्ट है कि श्री साहा समय पर कार्यालय नहीं आते थे तथा इंदिरा आवास, कृषि अनुदान कार्य नहीं किये जाने के फलस्वरूप नौहट्टा प्रखंड में आक्रोश उत्पन्न हुआ। इसके कारण क्षेत्र में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई एवं जनप्रतिनिधि एवं आम जनता आक्रोशित होकर आमरण अनशन पर बैठ गये। श्री साहा का यह कृत्य लापरवाही, अकर्मण्यता एवं लापरवाही को परिलक्षित करता है एवं जो बिहार आचार नियमावली 1976 के नियम-3(1) के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री साहा से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकार करने एवं उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6866 दिनांक 09.07.2021 द्वारा अधिरोपित दंड "पाँच प्रतिशत पेंशन पाँच वर्षों के लिए कटौती" को पूर्ववत् बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।

अतः उपर्युक्त लिये गये निर्णय के आलोक में श्री अमरनाथ साहा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 549/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौहट्टा, सहरसा सम्प्रति सम्प्रति सेवानिवृत्त के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6866 दिनांक 09.07.2021 द्वारा अधिरोपित दंड "पाँच प्रतिशत पेंशन पाँच वर्षों के लिए कटौती" को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, अपर सचिव।

सं0 2/आरोप-01-07/2021-सा0प्र0-11950

7 अक्टूबर 2021

श्री अजय कुमार ठाकुर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 161/19, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना (सम्प्रति निलंबित) के विरुद्ध परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4036 दिनांक 19.07.2021 द्वारा आरोप प्रतिवेदित है कि जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पदस्थापन अवधि में उनके द्वारा कार्यालय में कार्यरत लिपिक/प्रोग्राम/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं विभागीय आदेशों की अवहेलना करते हुए BS-III एवं BS-IV वाहनों को बैकलॉग इन्ट्री कर निबंधन किया गया और अपने लॉगिन आई0डी0 से 05 वाहनों का बैकलॉग इन्ट्री एवं 547 वाहनों को Approval दिया गया। वाहनों के निबंधन करने में फर्जी मनी रसीद का प्रयोग किया गया, जिससे सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ है।

उक्त आरोपों के लिए श्री ठाकुर के विरुद्ध गठित आरोप-पत्र पर विभागीय पत्रांक 9767 दिनांक 01.09.2021 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, किन्तु स्मारित किये जाने के बावजूद भी उनसे स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा।

उपरोक्त गंभीर आरोप एवं परिवहन विभाग, बिहार, पटना के अनुशंसा के आलोक में श्री ठाकुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 11918 दिनांक 06.10.2021 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया।

श्री ठाकुर के विरुद्ध गठित आरोप-पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया,

जिसमें मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित करेंगे।

श्री ठाकुर से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

सं० 2/आरोप-01-07/2021-सा0प्र0-11918

6 अक्टूबर 2021

श्री अजय कुमार ठाकुर (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 161/11, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना सम्प्रति परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद के विरुद्ध परिवहन विभाग, बिहार, पटना से आरोप प्रतिवेदित है कि जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पदस्थापन अवधि में उनके द्वारा कार्यालय में कार्यरत लिपिक/प्रोग्रामर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं विभागीय आदेशों की अवहेलना करते हुए BS-III एवं BS-IV वाहनों को बैकलॉग इन्ट्री कर निबंधन किया गया और अपने लॉगिन आई०डी० से 05 वाहनों का बैकलॉग इन्ट्री एवं 547 वाहनों को Approval दिया गया। वाहनों के निबंधन करने में फर्जी मनी रसीद का प्रयोग किया गया, जिससे सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ है।

उक्त आरोपों के लिए श्री ठाकुर के विरुद्ध गठित आरोप-पत्र पर विभागीय पत्रांक 9767 दिनांक 01.09.2021 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, किन्तु स्मारित किये जाने के बावजूद भी उनसे स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा।

उपरोक्त गंभीर आरोप एवं परिवहन विभाग, बिहार, पटना के अनुशंसा के आलोक में श्री ठाकुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के प्रावधानों के तहत तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री ठाकुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-10(1) के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, अपर सचिव।

सं० 2/आरोप-01-06/2021-सा0प्र0-11290

24 सितम्बर 2021

डॉ० सतीश चरण झा (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 742/11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रोसड़ा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक 66(मु०) दिनांक 28.05.2019 द्वारा माननीय लोकायुक्त के कार्यालय में दायर वाद संख्या-01/लोक (नगर विकास विभाग)-11/12 में वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं सरकारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने संबंधी आरोपों के लिए आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया। जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों/अभिलेखों के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित आरोप-पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

विभागीय पत्रांक 7778 दिनांक 29.07.2021 द्वारा डॉ० झा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। डॉ० झा के पत्रांक-शून्य दिनांक 27.08.2021 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

डॉ० झा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि डॉ० झा के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं सरकारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित है। उनके विरुद्ध माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक 19.02.2018 एवं 30.08.2018 को पारित आदेश के आलोक में मामले की जाँच उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर की अध्यक्षता में त्रि-सदस्यीय समिति द्वारा कराई गयी। समिति के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में रोकड़ पंजी/चेक पंजी में दर्ज राशि को अप्राधिकृत एवं अनियमित व्यय मानते हुए व्यय की गयी राशि का जिम्मेवार हैं। अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में पाया गया है कि डॉ० झा द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, जिसके कारण वित्तीय अनियमितता हुई।

डॉ० झा के विरुद्ध गठित आरोप-पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को निदेश दिया जाता है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित करेंगे।

डॉ० से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 29—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>